स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 2020–21

तुलन पत्र
लाभ एवं हानि का विवरण
नगदी प्रवाह विवरण
लेखा संबंधी टिप्पणियां
वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की अभ्युक्तियां

31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन–पत्र

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
(क) संपत्ति, प्लांट एवं पुर्जे	2		6,561.85		6,591.99
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		6,414.30		4,989.80
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2		0.36		0.20
(घ) परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार	2		410.50		380.71
(ड.) सहायक कंपनी में निवेश	4		7.40		0.00
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) ऋण	5	39.24		38.89	
(ii) अग्रिम	6	0.01	39.25	0.01	38.90
(छ)आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7		871.31		939.71
(ज) निवल गैर–चालू परिसंपत्तियां	8		32.49		24.55
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9		1,906.22		1,582.89
चालू परिसंपत्तियां					
(क) माल सूची	10		34.94		32.42
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
i) प्राप्य व्यापार	11	1,055.48		1,868.94	
ii) नकदी तथा नकदी समकक्ष	12	225.08		25.20	
iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	13	0.00		0.58	
iv) ऋण	14	9.43		8.36	
v) अग्रिम	15	505.88		500.99	
vi) अन्य	16	357.57	2,153.44	257.06	2,661.13
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	17		60.79		60.37
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	18		54.35		59.73
नियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	19		169.72		186.22
कुल योग			**18,716.92**		**17,548.62**
इक्विटी एवं देयताएं					
इक्विटी					
क) इक्विटी शेयर पूंजी	20		3,665.88		3,665.88
ख) अन्य इक्विटी	21		6,251.55		5,866.59
कुल इक्विटी			**9,917.43**		**9,532.47**
गैर चालू देनदारियां					
क) वित्तीय देनदारियां					
(i) ऋण	22	5,023.41		3,956.96	
(ii) गैर चालू वित्तीय देनदारियां	23	28.11	5,051.52	25.38	3,982.34
ख) अन्य गैर चालू देनदारियां	24		796.53		821.97

31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन–पत्र (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
ग) प्रावधान	25		190.37		190.85
चालू देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां					
i) ऋण	26	700.00		1,115.06	
ii) व्यापार देयताएं					
क. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम की कुल बकाया देयताएं		0.42		0.66	
ख. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम को छोड़कर क्रेडिटर की कुल बकाया देयताएं		24.65		21.37	
(iii) अन्य	27	1,001.19	1,726.26	891.54	2,028.63
(ख) अन्य गैर चालू देनदारियां	28		142.95		94.26
(ग) प्रावधान	29		341.63		279.47
चालू देनदारियां	30		0.00		0.00
नियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	31		550.23		618.63
कुल योग			**18,716.92**		**17,548.62**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां,	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन	41				
लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां	42				
1 से 42 तक की टिप्पणियां लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।					

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	***(जे. बेहेरा)***	***(विजय गोयल)***
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
आय					
लगातार प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	32		1,796.01		2,123.10
अन्य आय	33		705.92		282.26
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		18.80		63.74	
घटाएं : सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	18.80	0.00	63.74	0.00
कुल राजस्व			**2,501.93**		**2,405.36**
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	34		388.78		360.3
वित्त लागत	35		181.93		240.34
मूल्यह्रास और परिशोधन	2		317.33		576.10
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	36		230.33		239.33
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर एवं स्पेयर हेतु प्रावधान	37		0.25		0.00
कुल व्यय			**1,118.62**		**1,416.07**
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित खाता शेष, विशेष मदें एवं कर			**1,383.31**		**989.29**
विशेष मदें – (आय)/व्यय–निवल			35.65		0.00
कर पूर्व लाभ और नियामक आस्थगित खाता शेष			**1,347.66**		**989.29**
कर व्यय	38				
चालू कर					
आयकर			229.60		163.12
आस्थगित कर–(परिसंपत्ति)/देयता			68.48		(53.02)
I *विनियामक आस्थगित खाता शेष से पूर्व अवधि के लिए लाभ*			**1,049.58**		**879.19**
विनियामक आस्थगित खाता शेष आय/(व्यय)–निवल कर	39		42.83		41.06
I *लगातार परिचालनों से अवधि के लिए लाभ*			**1,092.41**		**920.25**
II *अन्य बृहत आय*					
(i)मदें जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं की जाएंगी:					
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	40		0.23		(12.47)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
(ii)परिभाषित हित लाभ योजनाओं पर आस्थगित कर हितलाभ योजनाएं–आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता)			0.08		(4.35)
अन्य बृहत् आय			**0.31**		**(16.82)**
कुल बृहत् आय (I+II)			**1,092.72**		**903.43**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित)					
बेसिक (रूपये)			297.99		251.22
तनुकृत (रूपये)			297.99		251.14
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन रहित)					
बेसिक (रूपये)			286.31		240.01
तनुकृत (रूपये)			286.31		239.94
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन, जोखिम प्रबंधन	41				
लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां	42				
1 से 2 तक की टिप्पणी इन लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।					

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	***(जे. बेहेरा)***	***(विजय गोयल)***
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) / सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि करोड़ ₹ में

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के है)

विवरण	*31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
विशेष मदों और कर पूर्व लाभ		**1,383.31**		**989.29**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
मूल्यह्रास	317.33		576.10	
मूल्यह्रास – सिंचाई घटक	18.80		63.74	
प्रावधान	0.25		-	
विलंबित भुगतान अधिभार	(66.94)		(225.68)	
वित्तीय लागत	181.93		240.34	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	0.23		(0.24)	
अन्य बृहत आय (ओसीआई)	0.23		(12.47)	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	-		-	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	(42.83)		(41.06)	
विशेष मदें	(35.65)		0.00	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर	(9.07)	(229.72)	(8.69)	592.04
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,153.59**		**1,581.33**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
माल सूची	(2.77)		(1.82)	
प्राप्य व्यापार (अनबिल्ड राजस्व सहित)	712.95		(424.72)	
अन्य परिसंपत्तियां	4.32		(471.59)	
ऋण और अग्रिम (चालू गैर चालू)	(9.78)		8.90	
माइनोरिटी ब्याज	-		-	
व्यापार देय और देनदारियां	201.87		(46.97)	
प्रावधान (वर्तमान गैर चालू)	61.68		(47.44)	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	42.83	1,011.10	41.06	(942.58)
कर पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**2,164.69**		**638.75**
कारपोरेट कर		(229.60)		(163.12)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**1,935.09**		**475.63**
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन				

संपत्ति, संयंत्र, उपस्कर और सीडब्ल्यूआईपी	(1,760.45)		(1,227.21)	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	(0.23)		0.24	
पूँजी अग्रिम	(327.16)		(373.86)	
सहायक कंपनी में निवेश	(7.40)		0.00	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		**(2,095.24)**		**(1,600.83)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	-		7.00	
उधारियां	1,005.88		1,345.47	
पट्टा संबंधी दायित्व	(2.63)		15.88	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	(181.93)		(240.34)	
विलंबित भुगतान अधिभार	660.94		225.68	
लाभांश तथा लाभांश पर कर	(707.75)		(151.90)	
वित पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह(ग)		**774.51**		**1,201.79**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ ख + ग)		614.36		76.59
ड. आरंभिक नकदी तथा नकदी समकक्ष		(1,089.28)		(1,165.87)
च. समापन नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ+ ड.)		(474.92)		(1,089.28)

टिप्पणी:.

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में शून्य रूपये (गत वर्ष में 0.58 करोड़ रूपये) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः समूहबद्ध/पुनः दर्शित किया गया है।
3. नकदी और नकदी समकक्ष का नोट सं. 42.20 (क) में समाधान कर दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	***(जे. बेहेरा)***	***(विजय गोयल)***
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		3,665.88

ख. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

			01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय			
विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
अथ शेष (1)		0.00	5,845.53	39.00	(17.95)	5,866.58	0.00	5,866.58
वर्ष के लिए लाभ			1,092.41			1,092.41	0.00	1,092.41
अन्य बृहत् आय					0.31	0.31		0.31
कुल बृहत् आय			1,092.41		0.31	1,092.72	0.00	1,092.72
गैर–नियंत्रित ब्याज से ईक्विटी अंशदान							0.00	
लाभांश			707.75			707.75		707.75
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)			384.66			384.97		384.97

			01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय			
विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
डिबेंचर मोचन आरक्षित को स्थानान्तरित/समायोजन			(40.50)			(40.50)		(40.50)
(iii) अवधि के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/(उपयोग/समायोजित) (IV)				40.50		40.50		40.50
अंतशेष (I+II+III+IV)		0.00	6,189.69	79.50	(17.64)	6,251.55	0.00	6,251.55

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	*(जे. बेहेरा)*	*(विजय गोयल)*
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)

साझेदार

सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021

स्थान : लखनऊ

क. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*नोट सं.*	*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,654.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		11.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		**3,665.88**

ख. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*नोट सं.*	*शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन*	*01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक आरक्षित एवं अधिशेष*		*अन्य बृहत् आय*			
			प्रतिधारित आय	*डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य*	*बीमांकिक लाभ/(हानि)*	*कुल*	*गैर–नियंत्रित ब्याज*	*कुल*
अथ शेष (1)		4.00	5,071.18	45.00	(1.12)	5,119.06	0.00	5,119.06
वर्ष के लिए लाभ			920.25			920.25	0.00	920.25
अन्य बृहत् आय					(16.82)	(16.82)		(16.82)
कुल बृहत् आय			**920.25**		**(16.82)**	**903.43**	**0**	**903.43**
गैर नियंत्रित ब्याज से ईक्विटी अंशदान							0	
लाभांश			126.00			126.00		126.00
लाभांश पर कर			25.90			25.90		25.90
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)			**768.35**			**751.53**		**751.53**

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय			
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
डिबेंचर मोचन आरक्षित को स्थानान्तरित (iii)			6.00			6.00		6.00
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/(उपयोग) (IV)				(6.00)		(6.00)		(6.00)
वर्ष के दौरान लंबित शेयर पूँजी आबंटन जमा/(आबंटित) (V) (निवल)		(4.00				(4.00)		(4.00)
अंत शेष (I+II+III+IV+V)		**0.00**	**5,845.53**	**39.00**	**(17.94)**	**5,866.59**	**0.00**	**5,866.59**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

(विजय गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

टिपण्णी संख्या–1

कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. रिपोर्ट करने वाली संस्था (रिपोर्टिंग संस्था)

टीएचडीसी लिमिटेड (कंपनी) भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएनः यू45203 यूआर 1988 जीओआई 009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)। कंपनी प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

ख. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1. ये वित्तीय विवरण, लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधि ानियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 09.06. 2021 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

2. इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये(आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की प्रयोजनमूलक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत की गई सभी सूचनाएं लाख के निकटतम पूर्णांक में दी गई है सिवाय इस स्थिति के जब अन्यथा कहा गया हो।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त की गई विशिष्ट लेखांकन नीतियों का सार निम्नानुसार है। ये लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई सभी अवधियों में लगातार प्रयुक्त की गई हैं।

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

2.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

2.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से

अधिक उत्पादक इकाई में काम आनेवाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

2.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया हो, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में उन्हें मान्यता दी जाती है।

2.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, यदि यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता हो। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष अग्रेषण राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृहद निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृहद निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

2.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से अनपेक्षित आर्थिक लाभ अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

2.6 भूमि जिस पर पीपीई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपीई में शामिल की जाती है।

2.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

3. चल रहे पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

3.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के

पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति को व्यावसायिक प्रचालन तिथि से डूब के अंतर्गत भूमि के रुप में पूंजीकृत किया जाता है।

3.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

3.4 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

3.5 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

3.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती हैं।

4. कोयला खानों के विकास पर व्यय

4.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत "कोयला खानों के विकास" को हस्तांतरित कर दी जाती हैं।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

5.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। "पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने" की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

5.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों को लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटाकर नियत की जाती है।

5.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

5.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

6.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक 101 (इंड एएस) के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया।

तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

6.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

7. उचित मूल्य माप

7.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत की माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर–1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर–2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

8. संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

3) लाभ/हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

8.4 ***प्रारंभिक पहचान और माप:*** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां, प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

8.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

8.6 ***तदन्तर माप:*** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

8.7 ***अमान्य–पहचान (डी रिकागनिशन)*** – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

9. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं– बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

10. माल–सूची

10.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

10.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को

एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

11. वित्तीय देनदारियां

11.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।

11.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

11.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

11.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

11.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

11.4 उत्तरवर्ती माप

11.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियां तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

11.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

11.5 अमान्य करना : किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

12. सरकारी अनुदान

12.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

13.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव

हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

13.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

13.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

14. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

14.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हस्तांरित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हंस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हंस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

14.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

14.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

14.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

14.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन/गैर –प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

14.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

14.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

14.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

14.9 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

14.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

14.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

15. व्यय

15.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

15.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटियां पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

15.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

15.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

15.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

15.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

15.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

16. कर्मचारियों के हितलाभ

16.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

16.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

16.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

17. ऋण लागत

17.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशायित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

17.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो। ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

18. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

18.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक, जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध हैं, प्रभारित किया जाता है।

18.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

18.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

18.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रूपये 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

18.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/–रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

18.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

18.7 भूमि के प्रयोग के अधिकार की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

18.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

18.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

19. माल सूची की अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

19.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

20. पट्टे

20.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों के अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को

हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

21. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

21.1 वर्तमान आयकर – आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन– पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

21.2 आस्थगित कर

21.2.1 तुलन– पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन– पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

21.2.2 प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन– पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

21.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

21.2.4 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि अनिश्चितता के सर्वोत्तम समाधान को तय करता है।

22. नकदी प्रवाह विवरण

22.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन– पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन– पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

23. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन– पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

23.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

24. विनियामक आस्थगित खाता शेष

24.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय/आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।

24.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

24.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

25. प्रति शेयर आय

25.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी

किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

26. लाभांश

26.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

27. प्रचालन खंड

27.1 इएएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए करता है। इंडएएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का ''मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता'' या ''सीओडीएम'' कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड के परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंडएएस–108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

28. विविध

28.1 समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हों।

टिप्पणी–2

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*सकल ब्लॉक*				*मूल्य ह्रास*				*निवल ब्लॉक*	
	01 अप्रैल, 2020के अनुसार	*वर्ष के दौरान वृद्धि*	*वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन*	*31 मार्च, 2021 के अनुसार*	*01 अप्रैल, 2020 के अनुसार*	*01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच की अवधि के लिए*	*वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन*	*31 मार्च, 2021 के अनुसार*	*31 मार्च, 2021 के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 के अनुसार*
क– संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	38.25	1.58	-	39.83	-	-	-	-	39.83	38.25
2. जलमग्न भूमि	1,687.60	10.73	-	1,698.23	669.62	38.86	-	708.48	989.75	1,017.88
3. भवन	1,049.38	19.96	-	1,069.34	287.09	34.41	-	321.50	747.84	763.29
4. अस्थायी भवन ढांचे	24.39	0.25	-	24.84	24.39	0.11	-	24.50	0.14	-
5. सड़क, पुल तथा पुलिया	173.65	13.05	(0.02)	186.68	44.39	7.32	-	51.71	134.97	129.26
6. ड्रेनेज सिवरेज तथा जलापूर्ति	22.35	0.32	-	22.67	9.14	1.10	-	10.24	12.43	13.21
7. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	24.46	0.01	-	24.47	14.70	1.40	-	16.10	8.37	9.76
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,177.93	240.73	(0.02)	3,418.64	1,501.82	106.01	-	1,607.83	1,810.81	1,676.11
9. ई.डी.पी. मशीनें	18.17	1.41	(0.38)	19.20	11.31	2.47	(0.32)	13.46	5.74	6.86
10. विद्युत संस्थापनाएं	45.77	0.78	-	46.55	10.42	1.13	-	11.55	35.00	35.35
11. पारेषण लाइनें	26.66	5.55	-	32.21	16.12	1.32	-	17.44	14.77	10.54
12.कार्यालय तथा अन्य उपकरण	61.17	8.75	(0.06)	69.86	46.98	5.37	(0.05)	52.30	17.56	14.19
13. फर्नीचर तथा फिक्सचर	29.06	5.03	(0.04)	34.05	16.61	2.76	-	19.37	14.68	12.45
14. वाहन	22.53	0.79	-	23.32	10.77	1.72	-	12.49	10.83	11.76
15. रेलवे साइडिंग	1.22	-	-	1.22	0.52	0.07	-	0.59	0.63	0.70
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,190.62	-	-	5,190.62	3,063.29	105.30	-	3,168.59	2,022.03	2,127.33
17. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,606.20	-	-	1,606.20	880.16	29.57	-	909.73	696.47	726.04
उप–योग	13,199.31	308.94	(0.52)	13,507.73	6,607.33	338.92	(0.37)	6,945.88	6,561.85	6,591.98

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2020के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
पिछले वर्ष के आंकड़े	12,756.51	444.99	(2.18)	13,199.32	5,959.74	649.26	(1.67)	6,607.33	6,591.99	6,796.77
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां– साफ्टवेयर	4.71	0.39	-	5.10	4.51	0.23	-	4.74	0.36	0.20
उप–योग	4.71	0.39	-	5.10	4.51	0.23	-	4.74	0.36	0.20
पिछले वर्ष के आंकड़े	4.71	-	-	4.71	3.86	0.65	-	4.51	0.20	0.85
ग.परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार										
1. भूमि के प्रयोग का अधिकार	384.01	49.04	-	433.05	12.45	15.77	-	28.22	404.83	371.56
2. भवन के प्रयोग का अधिकार	3.85	0.21	(0.07)	3.99	1.22	1.22	(0.04)	2.40	1.59	2.63
3. वाहन के प्रयोग का अधिकार	7.35	1.51	(0.09)	8.77	0.84	3.94	(0.09)	4.69	4.08	6.51
उप–योग	395.21	50.76	(0.16)	445.81	14.51	20.93	(0.13)	35.31	410.50	380.70
पिछले वर्ष के आंकड़े	39.05	356.16	-	395.21	5.68	8.82	-	14.50	380.71	33.37
मूल्य ह्रास का ब्यौरा					चालू वर्ष		विगत वर्ष			
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास					23.95		18.89			
पी एंड एल विवरण को हस्तांरित मूल्यह्रास					317.33		576.10			
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					18.80	360.08	63.74	658.73		
वर्ष के दौरान रूपये 1500.00 से अधिक परंतु रूपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया।					0.16		0.21			

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 × 100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रूपये के कल्पित मूल्य पर लेखांकित की गई है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान की गई मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अन्य अयोग्य सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के स्वामित्व वाले हक विलेख के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.5 में दिए गए है।

2.4 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.6 में दिए गए है।

टिप्पणी: 2

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*सकल ब्लॉक*				*मूल्य ह्रास*				*निवल ब्लॉक*	
	01 अप्रैल, 2019के अनुसार	*वर्ष के दौरान वृद्धि*	*वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन*	*31 मार्च, 2020 के अनुसार*	*01 अप्रैल, 2019 के अनुसार*	*01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के बीच की अवधि के लिए*	*वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन*	*31 मार्च, 2020 के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 के अनुसार*	*31 मार्च, 2019 के अनुसार*
क– संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	38.25	-	-	38.25	-	-	-	-	38.25	38.25
2. जलमग्न भूमि	1,651.32	36.18	-	1,687.50	614.30	55.32	-	669.62	1,017.88	1,037.02
3. भवन	1,005.15	44.23	-	1,049.38	252.90	34.19	-	287.09	762.29	752.25
4. अस्थायी भवन ढांचे	24.18	0.21	-	24.39	24.18	0.21	-	24.39	-	-
5. सड़क, पुल तथा पुलिया	162.58	11.07	-	173.65	38.40	5.99	-	44.39	129.26	124.18
6. ड्रेनेज सिवरेज तथा जलापूर्ति	22.35	-	-	22.35	7.59	1.55	-	9.14	13.21	14.76
7. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	22.45	2.17	(0.16)	24.46	13.49	1.31	(0.10)	14.70	9.76	8.96
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,051.28	127.14	(0.49)	3,177.93	1,335.02	167.11	(0.31)	1,501.82	1,676.11	1,716.26
9. ई.डी.पी. मशीनें	16.09	3.46	(1.38)	18.17	10.05	2.45	(1.19)	11.31	6.86	6.04
10. विद्युत संस्थापनाएं	45.77	-	-	45.77	9.14	1.28	-	10.42	35.35	36.63
11. पारेषण लाइनें	25.84	0.82	-	26.66	11.74	4.38	-	16.12	10.54	14.1
12.कार्यालय तथा अन्य उपकरण	58.66	2.58	(0.07)	61.17	29.03	18	(0.05)	46.98	14.19	29.63
13. फर्नीचर तथा फिक्सचर	26.69	2.40	(0.02)	29.07	12.30	4.31	-	16.61	12.46	14.39
14. वाहन	20.73	1.86	(0.06)	22.53	8.74	2.05	(0.02)	10.77	11.76	11.99
15. रेलवे साइडिंग	1.22	-	-	1.22	0.45	0.07	-	0.52	0.70	0.77
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,184.15	6.47	-	5,190.62	2,789.25	274.04	-	3,063.29	2,127.33	2,394.90
17. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,399.80	206.40	-	1,606.20	803.16	77.50	-	880.16	726.04	596.64

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2019के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	01 अप्रैल, 2019 के अनुसार	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
उप–योग	12,756.51	444.99	(2.18)	13,199.32	5,959.74	649.26	(1.67)	6,607.33	6,591.99	6,796.77
पिछले वर्ष के आंकड़े	12,619.85	139.5	(2.84)	12,756.51	5,327.52	634.67	(2.45)	5,959.74	6,796.77	7,292.33
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां–साफ्टवेयर	4.71	-	-	4.71	3.86	0.65	-	4.51	0.20	0.85
उप–योग	4.71	-	-	4.71	3.86	0.65	-	4.51	0.20	0.85
पिछले वर्ष के आंकड़े	3.97	0.74	-	4.71	3.64	0.22	-	3.86	0.85	0.33
ग.परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार										
1. भूमि के प्रयोग का अधिकार	39.05	344.96	-	384.01	5.68	6.77	-	12.45	371.56	33.37
2. भवन के प्रयोग का अधिकार	-	3.85	-	3.85	-	1.21	-	1.21	2.64	-
3. वाहन के प्रयोग का अधिकार	-	7.35	-	7.35	-	0.84	-	0.84	6.51	-
उप–योग	39.05	356.16	-	395.21	5.68	8.82	-	14.5	380.71	33.37
पिछले वर्ष के आंकड़े	39.05	-	-	39.05	3.82	1.86	-	5.68	33.37	35.23
मूल्य ह्रास का ब्यौरा					विगत वर्ष		-			
ई.डी.सी को हस्तांरित मल्यह्रास					18.89		12.60			
पी एंड एल विवरण को हस्तांरित मूल्यह्रास					576.10		555.00			
पी एंड एल विवरण को हस्तांतरति मूल्यह्रास					63.74	658.73	69.15	636.75		
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान										
वर्ष के दौरान रूपये 1500.00 से अधिक परंतु रूपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया।					0.21		0.29			

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 × 100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रूपये के कल्पित मूल्य पर लेखांकित की गई है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान की गई मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अन्य अयोग्य सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के स्वामित्व वाले हक विलेख के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.5 में दिए गए हैं।

2.4 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.6 में दिए गए हैं।

टिप्पणी:3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी सं.*	*01 अप्रैल 2020 की स्थिति अनुसार*	*31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए वर्ष 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान वृद्धि*	*वर्ष 01 अप्रैल,2020 से 31 मार्च,2021 के दौरान समायोजन*	*वर्ष 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान पूंजीकरण*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार*
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		117.72	39.5	(2.17)	(19.42)	135.63
सड़क– पुल तथा पुलिया		25.04	22.87	(0.01)	(12.94)	34.96
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		5.04	0.24	0.94	(0.11)	6.11
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		1,672.55	998.43	(2.70)	(239.10)	2,429.18
हाइड्रोलिक कार्य, बांध, स्पिलवेज, जलमार्ग		2,866.39	452.41	(0.11)	-	3,318.69
चैनल्स, वियर्स, सर्विस गेट तथा अन्य हाइड्रोलिक कार्य		-	-	-	-	-
जलागम क्षेत्र वनीकरण		88.00	-	-	-	88
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		0.86	0.06	-	-	0.92
परियोजना निर्माण से सीधे जुड़े अन्य व्यय		0.00	149.17	0.00	0.00	149.17
कोयला खान का विकास		37.61	1.75	0.00	0.00	39.36
सौर ऊर्जा का विकास		0.00	0.00	0.00	0.00	0
अन्य		3.87	0.65	(0.95)	(0.62)	2.95
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		98.09	0.36	(0.23)	-	98.22
निर्माण के दौरान व्यय	31.1	41.99	247.24			289.23
घटाएं: पी एंड एल को आबंटित/प्रभारित निर्माण के दौरान व्यय	31.1		218.57			218.57
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		67.47	20.48	(0.08)	(12.59)	75.28
घटाएं : सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान		34.83	0.00	0.00	0.00	34.83
कुल योग		4,989.80	1,714.59	(5.31)	(284.78)	6,414.30
पिछले वर्ष के आंकड़े		4,544.34	1,153.66	7.43	(715.63)	4,989.80
पूर्वावधि के आंकड़े		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से टिहरी पीएसपी, बीपीए और खुर्जा आदि जैसी निर्माणाधीन लगातार जारी परियोजनाएं शामिल हैं। चूँकि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए क्षति का प्रश्न नहीं उठता।

टिप्पणी: 4

गैर चालू परिसंपत्तियां–सहायक कंपनी में निवेश

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
सहायक कंपनी में निवेश					
टस्को			7.40		0.00
कुल			**7.40**		**0.00**

टिप्पणी: 5

गैर चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		17.79		16.50	
शोध्य समझे गए –अप्रतिभूत		6.99		9.45	
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए –प्रतिभूत		23.04		25.49	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		2.06		1.89	
कर्मचारियों को कुल ऋण		49.88		53.33	
घटाएं: प्रतिभूति ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		8.90		11.86	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.80	39.18	2.66	38.81
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.05		0.08	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.02		0.01	
निदेशकों को कुल ऋण		0.07		0.09	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.01	0.06	0.01	0.08
उप–योग			**39.24**		**38.89**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल योग– अग्रिम			**39.24**		**38.89**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
मूलधन		0.05		0.08	
ब्याज		0.02		0.01	
कुल योग		**0.07**		**0.09**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.01	0.06	0.01	0.08
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.01		0.01	
ब्याज		0.01		0.01	
कुल योग		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02

टिप्पणी: 6

गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां–अग्रिम

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
अग्रिम					
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद रूप में, वस्तु रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूलनीय)					
अग्रिम कर्मचारियों को		0.01		0.01	
अन्य को		0.00	0.01	0.00	0.01
जमा					
अन्य जमा		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग			**0.01**		**0.01**

टिप्पणी: 7

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
आस्थगित कर देनदारियां		(29.75)		(29.75)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		901.06	871.31	969.46	939.71
कुल योग			**871.31**		**939.71**

टिप्पणी: 8

गैर चालू कर परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
जमा कर			32.49		24.55
कुल योग			**32.49**		**24.55**

टिप्पणी: 9

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			10.70		14.53
उप–योग			10.70		14.53
अग्रिम पूँजी					
अप्रतिभूत					
(i) बैंक गारंटी के विरुद्ध (951.57 करोड़ रूपए की बैंक गारंटी के लिए)		858.38		933.55	
(ii) पुनर्वास/पुनः स्थापन और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान		423.88		287.46	
(iii) अन्य		579.26		393.88	
(iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		157.39	2,018.91	77.49	1,692.38
घटायें : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			123.39		124.02
उप–योग– पूँजी अग्रिम			1,895.52		1,568.36
कुल योग			**1,906.22**		**1,582.89**

टिप्पणी: 10

माल सामग्री

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
माल सामग्री					
(भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		1.68		1.00	
यांत्रिक एवं विद्युत भंडार एवं पुर्जे		28.92		28.35	
अन्य (भंडारण एवं पुर्जे सहित)		4.44		3.01	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्य)		0.17	35.21	0.09	32.45
घटाएं: अन्य भंडारों के लिए प्रावधान			0.27		0.03
कुल योग			**34.94**		**32.42**

टिप्पणी: 11

व्यापार प्राप्य

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
(i) छः माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		448.92		1,257.14	
उधारी में हानि		67.39	516.31	100.76	1,357.90
घटाएं: –अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			67.39		100.76
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		606.56		611.8	
उधारी में हानि		0.00	606.56	0.00	611.80
कुल योग			**1,055.48**		**1,868.94**

टिप्पणी: 12

*नकदी और नकदी सम*कक्ष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
नकदी एवं नकदी समकक्ष					
बैंक में शेष (ऑटो स्वीप, बैंक के साथ लचीला जमा सहित)			225.07		25.18
पास में चैक, ड्राफ्ट्स			0.01		0.02
कुल योग			**225.08**		**25.20**

टिप्पणी:13

नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर अन्य बैंक शेष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
अन्य बैंक शेष					
अन्य (कंपनी के द्वारा प्रयोग के लिए अनुपलब्ध बैंक में शेष)			0.00		0.58
कुल योग			**0.00**		**0.58**
13.1 बैंक में शेष, जो कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है, में एलसी/न्यायालय आदेश के विरूद्ध लिअन शेष है।					

टिप्पणी: 14

चालू वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–ऋण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		6.54		6.16	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		2.53		2.71	
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		1.87		1.74	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.08		0.09	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**11.02**		**10.7**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.21		1.87	
घटाएं:अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.32	9.49	0.41	8.42
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.02		0.02	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
उप–योग			**9.51**		**8.44**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.08		0.08
कुल अग्रिम			**9.43**		**8.36**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.02		0.02	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल योग		**0.02**		**0.02**	

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.00		0.00	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल योग		**0.00**		**0.00**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.00

टिप्पणी: 15

चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–अग्रिम

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		6.42		4.78	
अन्य को		3.91	10.33	0.35	5.13
जमा					
प्रतिभूति जमा		14.65		12.72	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		480.88		483.12	
अन्य जमा		0.02	495.55	0.02	495.86
कुल योग			**505.88**		**500.99**

टिप्पणी: 16

चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
अन्य					
अन्य अनबिल्ड राजस्व			357.57		257.06
कुल योग			**357.57**		**257.06**

16.1 अनबिल्ड राजस्व में अप्रैल, 2021 में बिल की गई मार्च, 2021 के लिए 106.55 करोड़ रूपये की बिक्री (अप्रैल, 2020 में बिल की गई मार्च, 2020 के लिए 111.56 करोड़ रूपये की बिक्री) एवं 251.02 करोड़ रु. की लंबित प्रशुल्क याचिका के एवज में लाभार्थियों से शेष शामिल है (वसूलनीय 267.50 करोड़ रु. एवं देय 16.48 करोड़ रु.) (पूर्वावधि में 145.48 करोड़ रु. था जिसमें वसूलनीय 161.96 करोड़ रु. था और देय 16.48 करोड़ रु. था)

टिप्पणी: 17
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
जमा किया गया कर			60.79		60.37
कुल योग			**60.79**		**60.37**

टिप्पणी: 18
अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
पूर्व भुगतान व्यय			42.44		40.07
उपार्जित ब्याज			0.04		0.06
निपटान के लिए धारित बीईआर परिसंपत्तियां			0.23		0.44
उचित मूलयांकन के कारण अस्थगित कर्मचारी लागत			1.53		2.28
उप योग			**44.24**		**42.85**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों को			0.49		0.18
खरीद के लिए			5.66		12.4
अन्य को			18.37		18.71
घटाएं: विविध वसूलियों के प्रावधान			24.52 14.41		31.29 14.41
उप योग–अन्य अग्रिम			**10.11**		**16.88**
कुल योग			**54.35**		**59.73**

टिप्पणी: 19
विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
अथ शेष			186.22		87.81
वर्ष के दौरान निवल संचालन			(16.50)		98.41
अंत शेष			**169.72**		**186.22**

19.1 विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष 01.1.2017 से वेतन परिवर्तन के कारण वेतन एरियर के प्रभाव के कारण है जो 125.08 करोड़ रूपये विनिमय दर परिवर्तन के कारण 42.21 करोड़ और कर तथा अन्य 2.43 करोड़ रूपये है

टिप्पणी: 20
शेयर पूंजी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी सं.*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
		शेयरों की सं.	*राशि*	*शेयरों की सं.*	*राशि*
प्राधिकृत					
1000/– रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		40,000,000	4,000.00	40,000,000	4,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त		36,658,817	3,665.88	36,658,817	3,665.88
1000/– रूपये प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**36,658,817**	**3,665.88**	**36,658,817**	**3,665.88**

(वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 109.85 रुपये (पिछले वर्ष 34.37 रूपये) प्रति इक्विटी शेयर की दर पर अंतिम लाभांश के रूप में 402.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में 305.04 करोड़ रुपये का भुगतान किया और कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 190.84 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के 135.27 रु. (पिछले वर्ष 109.85 रु.) की दर से कुल लाभांश 495.88 करोड़ रु. है। यह प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम सभा में शेयर होल्डरों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

टिप्पणी 20.1
कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक, शेयर वाले शेयर धारकों का विवरण

विवरण	*टिप्पणी सं.*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
		शेयरों की सं.	*%*	*शेयरों की सं.*	*%*
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
1. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		27,309,412	74.496	27,309,412	74.496
2. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		9,349,405	25.504	9,349,405	25.504
कुल		**36,658,817**	**100**	**36,658,817**	**100**

टिप्पणी: 20. 2
शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समाधान

विवरण	*टिप्पणी सं.*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
		शेयरों की सं.	*राशि*	*शेयरों की सं.*	*राशि*
प्रारंभिक		36,658,817	3,665.88	36,548,817	3,654.88
जारी		0.00	0.00	110,000	11.00
समाप्ति पर		**36,658,817**	**3,665.88**	**36,658,817**	**3,665.88**

20.3 कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर हैं जो प्रति शेयर 1000/–रूपये सम मूल्य के हैं। इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयर धारकों की बैठकों में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान करने के अधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी: 21
अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
आबंटन लंबित रहते हुए शेयर आवेदन धनराशि			0.00		0.00
प्रतिधारित आय			6,189.69		5,845.53
डिवेंचर मोचन आरक्षिती			79.50		39.00
अन्य व्यापक आय			(17.64)		(17.94)
कुलयोग			**6,251.55**		**5,866.59**

21.1 नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार और दिनांक 16.08.2019 के कारपोरेट कार्य मंत्रालय सं.जी.एस.आर 574(इ) के अनुरुप कंपनी के लाभ में से विवेक सम्मत आधार पर बांडों के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से डिबेंचर मोचन आरक्षित का सृजन किया है जो बांडों के मोचन के प्रयोजन से बांडों के मोचन के वर्ष से पूर्व वर्ष तक प्रत्येक वर्ष समान किश्तों में होगा।

टिप्पणी: 22
गैर चालू– वित्तीय देयताएं – उधारियाँ

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
क. बॉंड्स					
****बॉंड्स निर्गम श्रृंखला–I–प्रतिभूत***					
(7.59 प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (प्रतिदान की तारीख 03.10.2026)			622.46		622.46
*****बांड निर्गम श्रृंखला–II–प्रतिभूत***					
(8.75 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) प्रतिदान की तारीखः 05.09.2029			1,574.08		1,574.59
******बांड निर्गम श्रृंखला–III–प्रतिभूत***					
(7.59 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) प्रतिदान की तारीखः 23.07.2030			839.55		0.00
^बांड निर्गम श्रृंखला–IV–प्रतिभूत					
(7.45 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) प्रतिदान की तारीखः 20.01.2031			760.87		0.00
कुल योग (क)			**3,796.96**		**2,197.05**

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
ख. प्रतिभूत					
****पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			230.27		322.30
#पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–783020002 (केएचईपी के लिए)।					
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फलोटिंग ब्याज दर लागू है)			89.53		208.85
#(रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए) (यूए–जीई पीएसयू–033–2010–3754)					
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			87.62		157.71
***(रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) 330001 (टिहरी– एचपीपी के लिए)*					
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			95.21		190.41
पंजाब नेशनल बैंक (पी एस पी के लिए)					
पंजाब नेशनल बैंक (30.06.2019 से 31.03.2024 तक 5 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर/एम सी एल आर प्रतिवर्ष 6.90 प्रतिशत			422.66		599.23
कुल योग (ख)			**925.29**		**1,478.50**
ग. अप्रतिभूत					
विदेशी मुद्रा ऋण					
(भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)					
$विश्व बैंक ऋण–8078–आईएन (वीपीएचईपी के लिए)					
(15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों के भीतर छमाही किश्तों में प्रतिदेय ब्याज दर/एलआईबीओआर भिन्नता विस्तार अर्थात वर्तमान में 0.95 प्रतिशत			985.06		986.99
कुल योग (ग)			**985.06**		**986.99**

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
घ. पट्टा दायित्व					
अपूतिभूत			13.25		15.88
कुल (क+ख+ग+घ)			**5,720.56**		**4,678.42**
घटाएं					
वर्तमान परिपक्वताएं:					
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण–प्रतिभूत			483.28		547.53
विदेशी मुद्रा ऋण–अप्रतिभूत			50.23		47.62
पट्टा दायित्व–अप्रतिभूत			4.06		5.62
प्रोद्भूत किंतु उधारियों पर अदेय ब्याज			159.58		120.69
कुल योग			**5,023.41**		**3,956.96**

*टिहरी एचपीपी चरण की चल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–I प्रतिभूत हैं।
**टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–II प्रतिभूत हैं।
***कोटेश्वर एचईपी एवं पाटन एवं द्वारका की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–III प्रतिभूत हैं ।
^सीडब्ल्यूआईपी की चल परिसंपत्तियों और टिहरी स्थित पम्प स्टोरेज संयंत्र की भावी चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–IV प्रतिभूत हैं ।
****टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियां अर्थात बांध, पावर हाउस, सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरुप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते है। टिहरी बांध और एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी प्राधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।
#कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण
@टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के लिए हस्ताक्षरित प्रतिभूत मध्यकालिक ऋण है।
$संबंधित ऋण रैंकिंग समरूप के तहत वित्तपोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित

22.1 इसमें वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी: 23
गैर चालू वित्तीय देनदारियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
देनदारियां					
ठेकेदार आदि से जमा, प्रतिधारण राशि		31.26		27.57	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		3.15	28.11	2.19	25.38
कुल योग			**28.11**		**25.38**

टिप्पणी: 24

अन्य गैर चालू देनदारियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
मूल्य ह्रास के विरुद्ध अग्रिम की मद में आस्थगित राजस्व			197.51		205.11
सिंचाई क्षेत्र के लिए उ.प्र. सरकार से प्राप्त अंशदान			595.87		614.67
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभः प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			3.15		2.19
कुल योग			**796.53**		**821.97**

टिप्पणी: 25

गैर चालू प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण		*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*				
	टिप्पणी सं.	*01 अप्रैल, 2020*	*वृद्धि*	*समायोजन*	*उपयोग*	*31.03.2021 के अनुसार*
1. कर्मचारियों से संबंधित		184.2	5.47	(1.05)	(4.91)	183.71
2. अन्य		6.66	0.00	0.00	0.00	6.66
कुल योग		**190.86**	**5.47**	**(1.05)**	**(4.91)**	**190.37**
पूववर्ती वर्ष के आंकड़े		**220.25**	**43.24**	**(37.91)**	**(34.73)**	**190.85**

25.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में एएस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 42.17 में कर दिया गया हैं ।

25.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय के प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणी: 26

चालू–वित्तीय देनदारियां –उधार

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*नोट सं.*	*31 मार्च, 2021 के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 के अनुसार*	
बैकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक					
क. प्रतिभूत ऋण					
$भारतीय स्टेट बैंक (90 दिन के साथ संयुक्त फ्लोरिंग ब्याज दर, बिल दर वर्तमान में 6% की दर से 90 करोड़ एवं 4.5% की दर से 160 करोड़ रु.)			250.00		160.00

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2021 के अनुसार		31 मार्च, 2020 के अनुसार	
@ पंजाब नेशनल बैंक (06 माह एमसीएलआर के लिए फ्लोटिंग ब्याज दर)			0.00		235.00
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)					
पंजाब नेशनल बैंक (03 माह एमसीएलआर वर्तमान में 6.90% की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर)			0.00		720.06
कुल योग (क)			**250.00**		**1,115.06**
ख. अप्रतिभूत ऋण:					
एक्सिस बैंक लिमिटेड (रेपो रेट +1% के साथ संबद्ध फ्लोटिंग ब्याज दर: वर्तमान में 5%)			100.00		0.00
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (रेपो रेट एवं प्रसार के साथ संबद्ध फ्लोटिंग ब्याज दर: वर्तमान में 4.45%)			350.00		0.00
उप योग (ख)			**450.00**		**0.00**
कुल			**700.00**		**1,115.06**

$भारतीय स्टेट बैंक से अल्पकालिक ऋण कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्य के माध्यम से प्रतिभूत किया जाता है।
@पंजाब नेशनल बैंक में अल्पकालिक ऋण टिहरी चरण–1 और कोटेश्वर एचईपी की परिसंपत्ति ब्लाक के द्वितीय प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत किया जाता है।
*परियोजना स्थल पर मशीनरी, स्पेयर्स, औजार और अनुषंगियों, ईंधन, स्टाक, स्पेयर्स एवं सामग्री सहित टिहरी चरण–I और कोटेश्वर (एचईपी) की कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लाक पर द्वितीय प्रभार के रूप में प्रतिभूत किया जाता है।

टिप्पणी: 27

अन्य चालू वित्तीय देनदारियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता					
क. प्रतिभूत (भारतीय मुद्रा में ऋण)			483.28		547.53
कुल (क)			**483.28**		**547.53**
ख. अप्रतिभूत			50.23		47.62
कुल (ख)			**50.23**		**47.62**
ग. पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता– अप्रतिभूत			4.06		5.62
कुल (क+ख+ग)			**537.57**		**600.77**
देनदारियां					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		0.02		0.05	
अन्य के लिए		142.71	142.73	100.99	101.04
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि		160.27		68.22	

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूत जमा / प्रतिधारण राशि		0.00	160.27	0.00	68.22
आस्थगित उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूत जमा / प्रतिधारण राशि			0.00		0.00
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं					
बांडधारक और वित्तीय संस्थाएं		160.62		121.51	
अन्य देनदारियां		0.00	160.62	0.00	121.51
कुल			**463.62**		**290.77**
कुल देनदारियां			**1,001.19**		**891.54**

*प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–22 में दिए गए हैं।

टिप्पणी: 28

अन्य चालू देयताएं

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
मूल्यह्रास के प्रति लिए गए अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			7.60		7.60
अन्य देयताएं			116.55		67.86
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		845.31		826.51	
घटाएं:					
मूल्यह्रास के लिए समायोजन		826.51	18.80	807.71	18.80
कुल योग			**142.95**		**94.26**

टिप्पणी: 29
चालू प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	*टिप्पणी सं.*	*01 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*			*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*
			वृद्धि	*समायोजन*	*उपयोग*	
1. कार्य		18.32	16.24	(1.13)	(13.92)	19.51
2. कर्मचारियों से संबंधित		244.54	137.12	(5.19)	(74.32)	302.15
3. अन्य		16.62	6.19	(0.80)	(2.04)	19.97
कुल		**279.48**	**159.55**	**(7.12)**	**(90.28)**	**341.63**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**297.50**	**96.20**	**(11.16)**	**(103.07)**	**279.47**

29.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में एएस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 42.17 में कर दिया गया है।
29.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय के प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणी: 30
चालू कर देताएं (निवल)

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
आय कर					
प्रारंभिक शेष			0.00		44.94
अवधि के दौरान वृद्धि			243.05		172.55
अवधि के दौरान समायोजन			0.00		0.00
अवधि के दौरान उपयोग			(243.05)		(217.49)
अंत शेष			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी: 31
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*
प्रारंभिक शेष		618.63	569.97
अवधि के दौरान निवल संचलन		(68.40)	48.66
अंत शेष		**550.23**	**618.63**
31 क. विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष लाभार्थियों से वसूलनीय आस्थगित कर समायोजन के कारण है			

टिप्पणी: 31.1
निर्माण के दौरान व्यय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	34				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		140.77		147.20	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		9.66		9.95	
पेंशन निधि		8.42		13.41	
उपदान		4.15		5.99	
कल्याण		3.39		4.10	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.67	167.06	0.02	180.67
अन्य व्यय	36				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		0.13		0.15	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		0.89	1.02	1.01	1.16
दर एवं कर			0.00		1.30
विद्युत एवं ईंधन			7.77		9.27
बीमा			0.11		0.28
संचार			0.71		0.97
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयत्र एवं मशीनरी		0.04		0.02	
स्टोर एवं अतिरिक्त कल पुर्जों की खपत		0.00		0.00	

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
भवन		1.06		3.97	
अन्य		2.58	3.68	1.81	5.80
यात्रा एवं वाहन			0.56		1.60
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			4.73		4.64
सुरक्षा			11.50		1.98
प्रचार तथा जनसंपर्क			0.70		0.19
अन्य सामान्य व्यय			8.82		35.06
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.01		0.02
सर्वेक्षण और सर्वेक्षण व्यय			7.70		2.82
कंसल्टेंसी परियोजना/संविदा पर व्यय			14.68		0.00
ब्याज अन्य			3.12		1.56
मूल्यह्रास	2		23.95		18.89
कुल व्यय (क)			**256.12**		**266.21**
प्राप्तियां					
अन्य आय	33				
ब्याज					
बैंक जमा से		0.04		0.11	
कर्मचारियों से		0.62		0.61	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिमः प्रभावी ब्याज के लेखे में समायोजन		0.67		0.02	
अन्य से		0.15	1.48	0.00	0.74
मशीन किराया प्रभार			0.06		0.01
किराया प्राप्तियां			0.97		0.75
विविध प्राप्तियां			3.48		3.35
प्रावधान की गई अधिकार राशि को हटाना			0.00		0.01
उचित मूल्यलाभ–प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			2.84		1.28
कुल प्राप्तियां (ख)			**8.83**		**6.14**
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**247.29**		**260.07**
कराधान के लिए प्रावधान	38				
कराधान सहित निवल व्यय			**247.29**		**260.07**

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ / (हानि)	40		**0.05**		**(2.32)**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			41.99		28.56
कुल ईडीसी			**289.23**		**290.95**
घटाएं:					
सीडब्ल्यूआईपी / परिसम्पत्ति को आबंटित ईडीसी		218.57		241.84	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		0.00	218.57	7.12	248.96
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**70.66**		**41.99**

टिप्पणी: 32

सतत प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
विद्युत बिक्री के प्रति लाभार्थियों से आय		1,770.33		2,074.79	
प्रशुल्क समायोजन के कारण विद्युत् बिक्री के लाभार्थियों से आय		0.00		28.51	
जोड़ें					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		7.60		0.00	
घटाएं :					
ग्राहकों को छूट		3.61	1,774.32	3.79	2,099.51
विचलन व्यवस्थापन / संकुचन प्रभार			21.35		23.44
परामर्श से आय			0.34		0.15
कुल			**1,796.01**		**2,123.10**

32.1 कंपनी ने टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए वर्ष 2019–2024 की अवधि में प्रशुल्क के निर्धारण के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष प्रशुल्क याचिका दायर की है। 2019–24 के लिए प्रशुल्क का निर्धारण लंबित रहने पर चालू वित्त वर्ष के लिए बिक्री से प्राप्त राजस्व को वित्त वर्ष 2019–20 के लेखापरीक्षित और प्रमाणित एएफसी के आधार पर मान्य किया गया है जिसकी गणना 2019–24 के लिए लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, 2019 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर की गई है।

32.2 टिहरी चरण–1 परियोजना के 12 वर्ष के वाणिज्यिक प्रचालन के पूरा होने के कारण, एडीडी ने पूर्व की आस्थिगत आय को अनुमति दी है और माना गया है और परियोजना के शेष उपयोगी जीवन अर्थात् 28 वर्ष के यथानुपात में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

टिप्पणी 33
अन्य आय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
ब्याज					
बैंक जमा राशि पर (इसमें टीडीएस 101865.00 रूपये शामिल हैं, पिछले वर्ष 255932.00 रूपये)		0.24		2.89	
कर्मचारियों से		2.05		2.23	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के खाते में समायोजन		4.93		1.77	
अन्य		0.38	7.60	0.09	6.98
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			0.06		0.01
किराया प्राप्तियां			1.73		1.45
विविध प्राप्तियां			7.18		5.59
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			34.38		45.38
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			0.01		0.30
देर से भुगतान पर अधिभार			660.94		225.68
उचित मूल्य लाभ–सुरक्षा जमा/ प्रतिधारण राशि			3.05		3.01
कुल योग			**714.95**		**288.4**
घटाएं:					
लाभग्राहियों के साथ साझा की गई गैर–प्रशुल्क आय			0.20		0.00
ईडीसी को अंतरित	31.1		8.83		6.14
कुल			**705.92**		**282.26**

टिप्पणी: 34
कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ		468.26	430.87
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान		29.10	30.20
पेंशन निधि		23.18	41.56
उपदान		17.86	19.68
कल्याण व्यय		12.51	16.90
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		4.93	1.76
कुल		**555.84**	**540.97**
घटाएं:			
ईडीसी को अंतरित	31.1	167.06	180.67
कुल		**388.78**	**360.30**

टिप्पणी: 35
वित्त लागत

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*
वित्त लागत			
बाँडों पर ब्याज		226.70	120.13
घरेलू ऋणों पर ब्याज		146.24	190.78
विदेशी ऋणों पर ब्याज		13.57	24.67
कैश क्रेडिट पर व्यय		36.02	45.60
एफईआरवी		(24.92)	71.17
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान ब्याज अन्य		2.67	1.95
		4.58	4.53
कुल		**404.86**	**458.83**
घटाएं:			
सीडब्ल्यूआईपी खाते में अंतरित और पूंजीकृत		219.81	216.93
ईडीसी को अंतरित अन्य ब्याज		3.12	1.56
कुल		**181.93**	**240.34**

टिप्पणी: 36

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
किराया					
कार्यालय किराया		0.28		0.25	
कर्मचारी आवास किराया		2.16	2.44	2.54	2.79
दर एवं कर			3.00		3.11
विद्युत एवं ईंधन			16.94		19.99
बीमा			29.11		21.22
संचार			3.83		3.12
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		43.98		33.48	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		4.07		7.01	
भवन		18.41		16.30	
अन्य		20.74	87.2	20.70	77.49
यात्रा एवं वाहन			1.89		6.36
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			7.91		11.85
सुरक्षा			54.82		53.26
प्रचार तथा जनसंपर्क			1.66		1.32
अन्य सामान्य व्यय			33.15		67.26
लेखापरीक्षकों को भुगतान			0.26		0.28
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.26		0.08
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			7.70		9.95
अनुसंधान और विकास			4.52		4.80
परामर्शी परियोजना/संविदा पर व्यय			14.62		0.06
निगम की सीएसआर एवं एसडी गतिविधियों पर व्यय			23.01		21.48
कुल			**292.32**		**304.42**
घटाएं:					
ईडीसी को अंतरित	31.1		61.99		65.09
कुल			**230.33**		**239.33**

टिप्पणी: 37
प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
संदिग्ध, ऋणों, सीडब्लूआईपी तथा ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
भण्डारों तथा पुर्जों के लिए प्रावधान			0.25		0.00
कुल			**0.25**		**0.00**
घटाएं:					
ई डी सी को अंतरित	31.1		0.00		0.00
कुल			**0.25**		**0.00**
37.1 भंडारों का प्रावधान मुख्यतः अप्रचलन के कारण है।					

टिप्पणी: 38
कराधान के लिए प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
आयकर					
चालू वर्ष			229.60		163.12
उप–योग			229.60		163.12
कुल			229.60		163.12

टिप्पणी: 39

विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन *राशि करोड़ ₹ में*

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन			51.90		49.75
विनियामक अस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर			(9.07)		(8.69)
कुल			**42.83**		**41.06**

टिप्पणी: 40

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन *राशि करोड़ ₹ में*

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			0.28		(14.79)
उप–योग			0.28		(14.79)
घटाएं:					
ई डी सी को अंतरित	31.1		0.05		(2.32)
कुल			0.23		(12.47)

41.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंडएएस 107 वित्तीय लिखतों के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालम गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), ओर तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्शिविक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम यह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज दर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजारी जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियों जमा और निवेश शामिल होते है।

विदेशी मुद्रा जोखिम– यह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम– यह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल– कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क से वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी ने किसी अशोध्य ऋण मामले या आशयित प्रावधान के प्रावधान करते समय ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया है।

3. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।

4. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उदृत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।

5. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुमय पर विचार कर, कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना नहीं करती है।

6. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।

7. रिपोर्ट की जाने की तारीख को कंपनी व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

41.2 वित्तीय आस्तियों की क्षति

एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि ईसीएल मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय आस्तियां जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय आस्तियां जो ऋण विलेख है और एफवीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय आस्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कालांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समग्र से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता होने लगती है।

41.3 परिसंपत्तियों की क्षति

जैसा कि इंड एएस 36 के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने टिहरी चरण–1 (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है जिनके लिए सीओडी क्रमशः 09.07.2007 और 01.04.2012 है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों की कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि दोनों परियोजनाओं के लिए "उपयोग में मूल्य" नियत परिसंपत्तियों की "वहन राशि" से अधिक है।

41.4 कोविड–19 जोखिम

कोविड–19 के कारण लाकडाउन अवधि के दौरान कंपनी की प्रचालन और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि कार्यबल की कमी हो गई है और एक राज्य से दूसरे राज्य में सामग्री, उपस्कर आदि के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया

गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार काम के घंटे घटाने तथा कर्मचारियों का रोस्टर बनाने के कारण उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ा।

टीएचडीसीआईएल की सभी निर्माण परियोजनाएं अर्थात टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट), वीपीएचईपी (440 मेगावाट), खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) और सौर ऊर्जा परियोजना, कासरगाड (50 मेगावाट) से संबंधित कार्य पूरी तरह से लाकडाउन लगाए जाने की अवधि के दौरान ठप्प हो गया था। इसके बाद, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों और एसओपी के अनुसार, सभी अनुशंसित सुरक्षा उपाय अपनाकर 20 अप्रैल, 2020 से कार्य आंशिक रूप से शुरु किया गया क्योंकि परिवहन में कठिनाई के कारण कार्यबल और निर्माण सामग्री की आपूर्ति सीमित हो गई थी। इससे कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे परियोजनाओं पर लगभग 6 माह का विलंब हो सकता है।

प्रचलनात्मक परियोजनाओं के संबंध में लाकडाउन के दौरान उत्पादन, नियोजित उत्पादन से कम था क्योंकि मांग कम हो गई थी। परंतु वर्ष 2020–21 के लिए नियोजित उत्पादन बढ़ा दिया गया है और उत्तरवर्ती महीनों में आरंभिक उत्पादन हानि की भरपाई कर ली जाएगी।

माननीय सीईआरसी ने 2019 प्रशुल्क विनियमन के विनियम 59 के प्रावधानों को शिथिल कर दिया है। उपरोक्त शिथिलीकरण के अनुसार दिनांक 24.3.2020 से 30.6.2020 के बीच बिलों को प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों के बाद वितरण कंपनियों द्वारा देर से भुगतान किए जाने के लिए संबंधित वितरण कंपनियां 1.5 की बजाय प्रति माह 1 प्रतिशत कम की गई दर पर एलपीएस सहित भुगतान करेगी। इससे निलंबित भुगतानों के कारण कंपनी का राजस्व प्रभावित होगा।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 15.05.2020 के पत्र और दिनांक 16.05.2020 के शुद्धि पत्र द्वारा सलाह दी है कि केन्द्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादक कंपनियां डिस्कामों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली के लिए लाकडाउन अवधि में प्रस्तुत बिजली के बिलों (नियत लागत) के लिए वितरण कंपनियों (डिस्काम) को 20 से 25 प्रतिशत तक छूट दे सकती है। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल डिस्कामों को लगभग 35.65 करोड़ रूपये की छूट की अनुमति दी है और इसे अपवादात्मक मदों के रूप में दर्ज किया गया है।

42. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यातमक टिप्पणियांरू

1.पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मांगे शामिल नहीं हैं तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 6297.31 करोड़ रूपये (गत वर्ष 6805.51 करोड़ रूपये) है।

2. आकस्मिक देयताएं

राशि करोड़ रूपये में

क्र.सं.	विवरण	तारीख को	
		31.03.2021	31.03.2020
क	पूंजीगत कार्य	860.93	504.72
ख	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	65.03	64.58
ग	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1106.88	713.48
घ	अन्य	2789.17	2820.11
ड.	उपरोक्त 'क' से 'घ' तक के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	Nil	NIL
च	विवादित कर संबंधी मामले	8.90	8.23
छ	**कुल**	**4830.91**	**4111.12**
ज	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम/अदालती मुकदमें/आयकर/व्यापार कर मामलों में कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	460.77	455.50

3. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों / वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफ डी आर/सी डी आर प्राप्त कर रही हैं । कंपनी ने 1.72 करोड़ रुपये एवं 3.63 करोड़ रूपये (गत वर्ष 1.41 करोड़ रूपये तथा 3.32 करोड़ रुपये) की एफडीआर/सीडीआर क्रमशः ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 23 एवं 27 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 191.54 करोड़ रुपये (गत वर्ष 95. 79 करोड़ रुपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों के अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 0.16 करोड़ रूपये (गत वर्ष 0.46 करोड़ रूपये) के समायोजन के बाद टिप्पणी सं. 35 के अनुसार वर्ष के दौरान पंजीकृत उधारी लागत ईडीसी को हस्तांतरित क्रमशः 219.31 करोड़ रूपये और 3.12 करोड़ रूपये (गत वर्ष 216.93 करोड़ रूपये और 1.56 करोड़ रूपये) है। इसके अतिरिक्त इंडएएस 21 के प्रावधानों के अनुसार, अस्थगित लेखा शेष क्रेडिट शेष के रूप में 16.50 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 45.91 करोड़ रूपये) को मान्य किया गया है।

5 (i) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत 3139.70 हेक्टेयर (गत वर्ष 3139.70 हेक्टेयर) की कुल भूमि में से 2143.98 हेक्टे. भूमि का स्वामित्व कंपनी के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। शेष भूमि 995.72 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है। 995.72 हेक्टयेर भूमि में से, 583.94 हेक्टेयर भूमि को नियत परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्शाया गया है जिसका सकल

और निवल मूल्य क्रमशः 311.99 करोड़ रूपये और 298.66 करोड़ रूपये है और शेष 411.78 हेक्टयेर भूमि निमज्जनाधीन है और इस भूमि का मूल्य औसत आधार 38. 53 करोड़ रूपये माना गया है।

(ii) टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून,1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं.8–32/06 एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम,1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोडेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा है जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

इसके अलावा, 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/ टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23– सी–4/टी –18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी ने उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। लेन–देन को अंतिम रूप और पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है। 49.03 करोड़ रूपये की राशि की इस भूमि को मौजूदा सर्किल रेट पर पट्टा भूमि के तहत अनंतिम रूप से पूंजीकृत किया गया है और उत्तरव्यापी प्रभाव अर्थात् वित्त वर्ष 2020–21 से परियोजना के लिए लाभकारी शेष पर परिशोधित किया जा रहा है।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 21 फ्लैट (गत वर्ष 24 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य 0.05 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 0.05 करोड़ रूपये) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.001 करोड़ रूपये की लागत की 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7. (i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसे प्रतिकूल भूगर्मीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और ठेकेदार एचसीसी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचईपी परिणाम के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका । ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मैसर्स एचसीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को

अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 151.205 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके है। जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था । डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वित्तीय के लिए उपलब्ध राशि 548 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने जून 2019 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तो के अनुसार डेट सर्विसिंग की गई है।

ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल ठेकेदार मैमर्स एचसीसी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैसर्स एच सी सी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

iii) वर्ष 2020–21 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने 31.12.2020 को कासरगौड में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना चालू की है, परियोजना के प्रचालन से प्रशुल्क याचिका राजस्व को अंतिम रूप दिया जाने के लंबित होने को, राज्य डिस्कॉम के साथ परस्पर सहमति से 3.10 रूपये की अनंतिम दर पर दर्ज किया गया है। तथापि, प्रति यूनिट के लिए 3.10 रूपये की दर निर्धारित करते हुए दिनांक 17.03.2021 के अंतिम प्रशुल्क आदेश को केएसईआरसी द्वारा 05.05.2021 को जारी किया गया।

(iv) कंपनी को भारत सरकार की ओर से इक्विटी निषेचन के रूप में 26.03.2020 को 14.00 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई। मैसर्स एनटीपीसी के नामिती के शेयरों सहित भारत सरकार द्वारा रणनीतिक बिक्री को ध्यान में रखते हुए और परिणामस्वरूप दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की 2730.94 करोड़ रूपये की इक्विटी, जो 74.496% का प्रतिनिधित्व करती है, के एनटीपीसी को अंतरण को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार से प्राप्त की गई इस राशि को वित्त वर्ष 2020–21 को भारत सरकार को वापिस कर दिया गया।

8. इंडएएस–24 के अंतर्गत प्रकटन ''सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण''

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) धारक

कंपनी/संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एमटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) सहायक कंपनी – टस्को लिमिटेड

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्र.सं.	*नाम*	*धारित पद*	*अवधि*
क.	***पूर्णकालिक निदेशक***		
1	श्री डी. वी. सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30.04.2021 तक
2	श्री विजय गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*/ निदेशक (कार्मिक)	पद पर बने हुए हैं।
3	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)	पद पर बने हुए हैं।
4	श्री आर. के. विश्नोई	निदेशक (तकनीकी)	पद पर बने हुए हैं।
ख.	***नामिती निदेशक***		
1	श्री यू. के. भट्टाचार्य	गैर–कार्यकारी निदेशक	26.08.2020 से
2	श्री ए. के. गौतम	गैर–कार्यकारी निदेशक	23.04.2020 से
3	श्री टी. वेंकटेश	गैर–कार्यकारी निदेशक	14.05.2018 से
4	श्री राजपाल	गैर–कार्यकारी निदेशक	30.04.2021 तक
5	श्री ए. के. गुप्ता	गैर–कार्यकारी निदेशक	23.04.2020 से 31.07.2020 तक
ग.	***मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव***		
1	श्री जे. बेहेरा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	पद पर बने हुए हैं।
2	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	पद पर बनी हुई हैं

*दिनांक 01.05.2021 से अतिरिक्त प्रभार

(iv) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं:

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	*प्रचालन का प्रमुख स्थल*
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआइएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा निधि न्यास	भारत

(अ) अन्य

सेवा–टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को शुरु करने के लिए सोसाइटी अधिनियम,1860 के अंतर्गत किया गया है।

संवद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों के छोड़कर)– सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 23.01 करोड़ रूपये वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2019 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंडएएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संवद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	*सम्बद्ध पक्षकारों के नाम*	*सम्बध की प्रकृति*
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.4960 प्रतिशत)
3	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(करोड़ रूपये में)

विवरण	*सहायक कंपनी*
	31 मार्च, 2021
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और परिसंपत्तियों का हस्तांतरण	3.56
किया गया इक्विटी अंशदान	7.40
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	0.31
अन्य	0.40

(ii) एक ही सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रूपये में)

कंपनी का नाम	*कंपनी द्वारा संव्यवहार की प्रकृति*	*31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लिए*	*31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए*
एनटीपीसी लि.	परामर्शी सेवा	27.35	13.71
बीएचईएल	उपस्कारों और स्पेयर की खरीद	163.65	80.99
आईओसीएल	ईधन की खरीद	1.67	2.32
बीपीसीएल	ईधन की खरीद	0.94	0.58
पीजीसीआईएल	पावर लाइन डायवर्जन	53.79	0.32
सीएमपीडीआईएल	परामर्शिता	6.64	1.63

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा संव्यवहार की प्रकृति	31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड एमटीपीसी और रिलायंस का संयुक्त उद्यम	जनशक्ति की आपूर्ति	0.50	0.52
आरआईटीईएस	कंसल्टेंसी सेवाएं	4.27	0.13
एनटीपीसी	लाभांश का भुगतान	527.25	
सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कंसल्टेंसी	1.09	0
अन्य	विविध	1.08	0.77

(iii) सम्बंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
क	*वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए वसूलनीय राशि*		
	– एनटीपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी) से	शून्य	शून्य
	– टस्को लिमिटेड (सहायक कंपनी) से	शून्य	शून्य
ख	*ऋण और अग्रिमों को छोड़कर वसूलनीय राशि*		
	– मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.11	0.14
	– सहायक कंपनी	3.56	शून्य

(iv) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिपूर्तिः स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय 3.42 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 4.29 करोड़ रूपये) है।

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	2.93	3.72
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.49	0.57
3	सेवांत लाभ	0	0
4	शेयर आधारित भुगतान	0	0
	कुलयोग	3.42	4.29

(iv) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(क) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ख) कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श

के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

9. इंड एएस 27 "पृथक वित्तीय विवरण" के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी का नाम	*निगमन का देश*	*स्वामित्व हित का अनुपात*
		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
टस्को लिमिटेड		
(12.09.2020 को निगमित)	भारत	74.00

10) इंडएएस 33 – "प्रति शेयर आय (ईपीएस)" के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:–

	2020–21	*2019–20*
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। (करोड़ रूपये)	1049.57	879.19
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (करोड़ रूपये)	1092.41	920.25
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	बेसिक : 36658817 तनुकृत : 36658817	बेसिक : 36631822.46 तनुकृत : 36642751.43
प्रति शेयर आय रूपये जिसमें विनियामक आय शामिल नहीं हैं। रूपया बेसिक रूपया तनुकृत	 286.31 286.31	 240.01 239.94
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है रूपया बेसिक रूपया तनुकृत	 297.99 297.99	 251.22 251.14
प्रति शेयर अंकित मूल्य रूपये	₹ 1000	₹ 1000

11. (क) आय कर व्यय

(i) लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	*को समाप्त वर्ष के लिए*	
	31 मार्च, 2021	*31 मार्च, 2020*
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	238.66	171.81
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन	0	0.00
विनियामक आस्थगित लेखा शेष से संबंधित (क)	(9.06)	(8.69)
कुल चालू कर व्यय (ख)	229.60	163.12

(ख) भविष्य में कंपनी को एमएटी क्रेडिट उपलब्ध है परंतु मान्य नहीं है।

भविष्य में कंपनी को उपलब्ध परंतु 31 मार्च, 2021 को मान्य नहीं, एमएटी क्रेडिट 580.97 करोड़ रूपये (31 मार्च, 2020 – 712.91 करोड़ रूपये) है।

(ii) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड ए एस 12 आयकर के अनुसरण में 68.40 करोड़ रूपये की आस्थगित कर परिसंपत्ति (पिछले वर्ष 48.66 करोड़ रूपये) में निवल वृद्धि को लाभ हानि विवरण में बुक किया गया है।

12. कंपनी का विभिन्न अवस्थितियों में माल एवं सेवा कर प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का जीएसटी पोर्टल पर दावा किया गया है, जिसे जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसे लेखाबही में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

13) (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी, लाभ निरपेक्ष, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, के माध्यम से व्यय किए गए सीएसआर खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है–

क्रम सं.	*सीएसआर व्ययों के लिए गठित व्यय–शीर्ष*	*लाख रूपये में*
1.	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	3.70
2.	शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम	0.00
	(i) शिक्षा विकास	5.42
	(ii) ग्रामीण विकास (विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित)	3.14
3.	महिला सशक्तीकरण एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना आदि	0.19
4.	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	0.11
5.	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	0.41
6.	सशस्त्र सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं आदि के लाभ के लिए उपाय	0.05
7.	खेलकूद का संवर्धन	0.02
8.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	7.40
9.	अनुसूचित जाति का कल्याण	0.00
10.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0.58
11.	आपदाएं	1.54
12.	एसटीपीपी खुर्जा परियोजना संबंधी व्यय	0.02
	सीएसआर प्रशासनिक व्यय	0.54
	कुल योग	***23.10***

Þटीएचडीसीआईएल के 23.01 करोड़ रूपये के योगदान तथा वर्ष के दौरान ब्याज की आय रिबोल्विंग के लिए धन 0.09 करोड़ रूपये से 'सेवा' द्वारा किया गया व्यय।

ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार 23.01 करोड़ रूपये (गत वर्ष 21.48 करोड़ रूपए) की तुलना में चालू वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान सीएसआर खर्च के रूप में 23.01 करोड़ रूपये (गत वर्ष 21.48 करोड़ रूपए) की राशि खर्च की, जो पूर्ववर्ती 3 वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ 2% के बराबर है।

ग) वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान नकद रूप में और नकद रूप में भुगतान किये जाने वाले व्यय तथा व्यय की प्रकृति सहित व्यय (पूँजी या राजस्व) का ब्यौराः

क्र. स.		*नकद रूप में*	*भुगतान किया जाना है*	*कुल योग*
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण			
(ii)	क्रम सं (i) से इतर अन्य प्रयोजन के लिए	23.01	0.00	23.01

(ii) अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटनः–

कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर 4.52 करोड़ रूपये (पूँजी– 4.52 करोड़ रूपये) (गत वर्ष 6.12 करोड़ रूपये) (पूँजी–1.32 करोड़ रूपये) राजस्व 4.80 करोड़ रूपये) राशि व्यय की है।

14) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत अपेक्षित 31 मार्च, 2021 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

(राशि करोड़ रूपये में)

		2020-21	**2019-20**
क.	किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
	i) मूल धन	0.45	0.71
	ii) उस पर ब्याज	0.00	0.00
ख.	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि	0.00	0.00
ग.	देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद भुगतान किया जा चुका है। परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।	0.00	0.00
घ.	प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका	0.00	0.00
ड.	अतिरिक्त ब्याज की देय राशि और उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से स्मॉल इंटरप्राइजेज को किया गया हो।	0.00	0.00

15. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के प्रभाव

क्रम सं.	नीति में संशोधन	प्रभाव/टिप्पणी
1	प्रकटीकरण अपेक्षाओं में सुधार के लिए मौजूदा लेखांकन नीति संख्या 20 में कतिपय संशोधन किए गए	इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

16. एएस 116 – 'पट्टे' के अनुसार प्रकटन

01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने एएस 116 'पट्टा' को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में अपनाया गया है।

(i) कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में हैः–

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर, कार्यालय और अतिथि गृह/ट्रांजिट कैम्प पट्टे पर लिए जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं है) तीन माह के लिए पट्टे पर लिए हैं जिन्हें पस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रैंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित करती है जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रेंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंडएएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की उठाव राशियां हैंः–

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	**15.88**	**0.00**
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	**1.72**	**43.14**
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	**1.53**	**1.51**
–पट्टा देयताओं का भुगतान	**5.87**	**28.78**
अंत शेष	**13.26**	**15.88**
चालू	**4.20**	**5.62**
गैर–चालू	**9.06**	**10.26**

(iii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

(राशि करोड़ रूपये में)

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	*31 मार्च, 2021 को*	*31 मार्च, 2020 को*
3 माह या कम	1.13	**1.70**
3–12 माह	3.42	**5.06**
1–2 वर्ष	5.21	**6.02**
2–5 वर्ष	2.05	**2.13**
5 वर्ष से अधिक	7.22	**7.89**
31 मार्च, 2020 को पट्टा देयताएं	19.04	**22.80**

(iv) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है।

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	*31 मार्च, 2021 को*	*31 मार्च, 2020 को*
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	17.19	8.82
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	1.53	1.52
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	2.44	2.79

(v) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	*31 मार्च, 2021 को*	*31 मार्च, 2020 को*
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह	5.87	28.78
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी प्रवाह	2.43	2.79

17. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ संबंध में प्रकटन इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि के निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन शून्य रूपये (गत वर्ष –3.73 करोड़ रूपये) के आधार पर चूँकि योजनागत परिसम्पत्तियों का अंकित मूल्य दायित्व के वर्तमान

मूल्य से 0.21 करोड़ रूपये (गत वर्ष में –3.73 करोड़ रूपये क्योंकि दायित्वों का वर्तमान मूल्य परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से 3.73 करोड़ रूपये अधिक है) अधिक है, इसलिए इसे लेखा–बही में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकरणों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी):

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देनदारी, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से यथाअभिनिश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य की तुलना में योजनागत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी के भुगतान के प्रति कंपनी का दायित्व सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 4.29 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 5.83 करोड़ रूपये) को बही में दर्ज किया गया है क्योंकि दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से 4.29 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 5.83 करोड़ रूपये) अधिक है।

(v) अन्य (असबाब/एलएसए/एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

31.03.2021 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.3.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –1 बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान एवं जैखिम प्रकटीकरणः–

(रूपए करोड़ में)

विवरण	*31.03.21*	*31.03.2020*	*31.03.2019*	*31.03.2018*	*31.03.2017*
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)
छूट की दर	6.75%	6.75%	7.75%	7.60%	7.50%
भावी वेतन वृद्धि	6.5%	6.5%	8.00%	8.00%	8.00%

जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोजर) का ब्यौराः मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि–वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देनदारी भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम– यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देनदारियां बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से काम निवेश प्रतिफल होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर– उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देनदारी बढ़ा सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता– मूल्यांकन में पूर्वानुमान से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ड़) आहरण– वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन की आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देनदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(रूपए करोड़ में)
(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	*उपदान*	*अर्जित अवकाश (ईएल)*	*अस्वस्थता अवकाश*	*सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)*	*अन्य–बैगेज भत्ता/लंबी सेवा अवार्ड /एफबीएस*
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	191.01 {178.93}	56.07 {43.04}	109.06 {98.83}	79.85 {70.02}	12.63 {12.43}
ब्याज लागत	12.89 {13.87}	3.78 {3.33}	7.36 {7.66}	5.39 {5.43}	0.85 {0.96}
पिछली सेवा की लागत					1.18
वर्तमान सेवा लागत	5.08 {5.81}	13.38 {12.78}	4.69 {4.51}	2.56 {2.36}	1.15 {1.18}
लाभ का भुगतान	(17.94) {(16.35)}	(13.31) {(14.69)}	(4.11) {(2.78)}	(3.42) {(2.85)}	(1.33) {(1.51)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.05) {8.74}	6.26 {11.60}	(0.88) {0.83}	2.93 {4.88}	(0.20) {0.44}
वर्ष के अंत में पी वी ओ	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	87.30 {79.85}	14.29 {12.63}

सारणी –3
तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(रूपए करोड़ में)

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	*उपदान*	*अर्जित अवकाश (ईएल)*	*अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)*	*सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)*	*अन्य–बैगेज भत्ता/लंबी सेवा अवार्ड /एफबीएस*
वर्ष के अंत में पीवीओ	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	87.30 {79.85}	14.29 {12.63}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	83.01 (74.02)	लागू नहीं
वित्त पोषित देयता/ प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	83.01 (74.02	शून्य
गैर वित्त पोषित देयता/प्रावधान	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	4.29 {5.83}	14.29 {12.63
चिन्हित न हुए बीमांकिक लाभ/हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	4.29 {5.83}	14.29 {12.63}

सारणी– 4 लाभ और हानि, ओसीआई एवं ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(रूपए करोड़ में)

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	*उपदान*	*अर्जित अवकाश (ईएल)*	*अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)*	*सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)*	*अन्य–बैगेज भत्ता/लंबी सेवा अवार्ड /एफबीएस*
वर्तमान सेवा लागत	5.08 {5.81}	13.38 {12.78}	4.69 {4.51}	2.56 {2.36}	1.15 {1.18}
सेवा उपरांत लागत					118.44
ब्याज लागत	12.89 {13.87}	3.78 {3.33}	7.36 {7.66}	5.39 {5.43}	0.85 {0.96}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.05) {8.74}	6.26 {11.60}	(0.88) {0.83}	2.93 {4.88}	(0.20) {0.44}
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	17.97 {19.68}	23.42 {27.71}	11.18 {13.00}	2.95 {3.07}	3.19 {2.14}

सारणी –5 संवेदनशीलता विश्लेषण

(राशि करोड़ रूपये में)

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	*उपदान*		*अर्जित अवकाश (ईएल)*		*अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)*		*पीआरएमवी*		*अन्य*	
	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(5.09)	(5.42)	(2.09)	(1.82)	(3.20)	(3.23)	(10.17)	(9.30)	(0.38)	(0.35)
0.50% की घटोत्तरी	5.36	5.72	2.23	1.93	3.37	3.40	10.34	9.46	0.39	0.36
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	1.24	1.46	2.22	1.93	3.36	3.40	लागू नहीं	लागू नहीं	0.18	1.80
0.50% की घटोत्तरी	(1.34)	(1.56)	(2.10)	(1.83)	(3.22)	(3.32)	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.17)	(1.70)
चिकित्सा लागत/समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	10.37	9.49	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की घटोत्तरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(10.21)	(9.33)	लागू नहीं	लागू नहीं

अन्य प्रकटीकरण

(राशि करोड़ रूपये में)

उपदान	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	189.99	191.01	178.93	174.87	170.03
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.05)	8.74	(0.12)	(7.85)	(1.37)
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(1.05)	8.74	(0.12)	(7.85)	(1.37)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	17.97	19.68	19.35	19.59	30.76

अर्जित छुट्टी (ईएल)	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	66.18	56.07	43.04	27.72	53.98
बीमांकिक (लाभ/हानि)	6.26	11.60	11.38	4.52	16.68
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	23.42	27.71	25.85	10.03	22.63

अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	116.13	109.06	98.83	88.81	123.88
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.88)	0.83	1.78	(46.16)	8.61
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	11.18	13.00	12.79	(32.84)	22.34.

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	87.30	79.85	70.02	62.70	56.39
अमान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.34	2.76	3.85	1.22	6.43
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.95	3.07	6.94	6.44	5.25

अन्य असबाब भत्ता/लंबी सेवा/एफबीएस	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.29	12.63	12.43	8.92	8.62
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.20	0.43	(0.29)	(0.28)	0.38
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	0.20	0.43	(0.29)	(0.28)	0.38
बीमांकिक (लाभ)/हानि	3.19	2.14	5.16	1.38	1.12
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय					

18. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतः पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 (संशोधित) बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधक वर्ग की राय में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

19. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)

(राशि करोड़ रूपए में)

		2020-21	2019-20
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.15	0.13*
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.02
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए		------
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए		------
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.06	0.10
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.03	0.03

लेखापरीक्षकों को भुगतान में 0.02 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष से संबंधित 0.02 करोड़ रूपये) शामिल हैं।

*वार्षिक आम सभा की बैठक में अनुमोदन के अधीन

20. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रूपए में)

विवरण	*टिप्पणी सं.*	*31.03.2021*	*31.03.2020*
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	225.08	25.19
जोड़ें : लियन के तहत बैंक शेष	13	0.00	0.58
घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष	26	700.00	1115.05
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		474.92	–1089.28

ख) मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) (संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन– पत्र में प्रारंभिक और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(राशि करोड़ रुपए में)

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2020–21	*प्रारंभिक*	*चालू वर्ष*	*अंत*	*परिवर्तन*	*अभ्युक्ति*
जारी की गई शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	3665.88		3665.88		
दीर्घकालिक उधारियाँ (बाँड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	4557.74		5560.99	1003.25	आहरित ऋण बांड – 1550.00 करोड़ रूपये विश्व बैंक – 77.00 करोड़ रूपये चुकौती घरेलू : 547.53 करोड़ रूपये विश्व – 48.67 करोड़ रूपये विनिमय दर –24.92 करोड़ रूपये (एफएवी) निवल परिवर्तन – 1005.87 करोड़ रूपये पट्टा – 2.63 करोड़ रूपये (निवल कमी)
ऋणों पर ब्याज भुगतान की गई वित्तीय लागत पूँजीकृत कम करें – सीडब्ल्यूआईपी		404.86 (222.93)		(181.93)	लाभ और हानि में प्रभारित
विलंबित भुगतान अधिभार		660.94		660.94	अन्य आय
भुगतान किया गया लाभांश		(707.75)		(707.75)	लाभांश का भुगतान
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				774.51	

21. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 026692

(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

(विजय गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय ववरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियो के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड ए एस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यो की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ–साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानो के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणो की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नही है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। हमने नीचे दिए गए मामले को लेखा परीक्षा सम्बंधित महत्त्वपूर्ण मामला माना है जिसे हमारी रिपोर्ट मेल संसूचित किया जाएगा।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
1.	***ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन*** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड ए एस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। तथापि जिन मामलों में जहाँ प्रशुल्क दर तय की जानी है, वहाँ लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों को लागू कर अनंतिम दरें अपनाई जाती हैं । सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुडा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के जटिल और निर्णयाधीन होने के नाते, इसकी मान्यता तथा मापन किया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 14 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 32 देखें)	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभाव शामिल होते हैं, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रकियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियायें अपनाई है। • ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। • सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्कों दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखाकरण का सत्यापन किया है। उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता और मापन पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते है।
2.	***आकास्मिक देयताएँ*** कंपनी के विरूद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। हमने इसकी पहचान लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में की है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये धनराशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करना काफी हद तक प्रबंधन निर्णय शामिल होता है और इस मामले में प्रबंधन पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है।	हमने आकस्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटन के संबंध में कंपनी के आतंरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनाई हैं – लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता को समझा और परीक्षण किया है। – प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक मामलों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है। – विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेजों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है।
	(महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 13 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42.2 देखें)	– प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। – जिन मामलों का प्रकटन नही किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। – प्रकटनों की पर्याप्तता और पूर्णता पर विचार किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटन पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

हम स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

(क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42 का पैरा(i) और (ii)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचएससी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 995.72 हेक्टेयर भूमि के संबंध में टिप्पणी संख्या 42 का पैरा 5(i) का टीएचडीसीआईएल द्वारा उपयोग परियोजना कार्यो के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, टिप्पणी संख्या 42 का पैरा 5 (ii) 44.426 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि के संबंध मे है जिसके लिए पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है, 49.03 करोड़ रूपये की राशि की इस भूमि को मौजूदा सर्किल रेट पर पट्टा भूमि के तहत अनंतिम रूप से पूंजीकृत किया गया है और उत्तरव्यापी प्रभाव अर्थात् वित्त वर्ष 2020–21 से परियोजना के लिए लाभकारी शेष पर परिशोधित किया जा रहा है। तुलन पत्र की टिप्पणी संख्या 28 में 49.03 करोड़ रूपये की राशि की देयता को निर्धारित किया गया है।

(ग) कंपनी के कार्यनिष्पादन पर कोविड–19 के प्रभाव के प्रबंधन मूल्यांकन के संबंध में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41.4। इसके अलावा, कंपनी ने डिस्कॉमों को 35.65 करोड़ रूपये की एक विशेष रियायत दी है जिसे अपवादात्मक मद के रूप में माना गया है।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य की सूचनाएं

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट, अनुलग्नक, प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण, व्यापारिक दायित्व और कंपनी से जुड़ी अन्य जानकारियों सहित निदेशक की रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल है। परंतु इसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपलब्ध होने पर उपरोक्त चिन्हित अन्य सूचनाओं को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम उपरोक्त के अनुसार सूचनाएं देते हैं तो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है और लागू विधियों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का उल्लेख करें।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा स्टैंडएलोन सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यरत कंपनी के रूप में कंपनी के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के

बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधक कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

कंपनी के वित्तिय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारें में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा को बनाए रखा है। हमने:

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अभिभावी होना शामिल हो सकता है।

- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूपमें जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में उस गलतबयानी की मात्रा महत्वपूर्ण होती है जो एकल रूप में या समग्र रूप में वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने को संभव बनाता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा के विस्तार क्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने तथा (ii) वित्तीय विवरणों में किन्ही चिन्हित गलतबयानियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के

संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं । हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) में यथाअपेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में लागू सीमा तक एक विवरण ***अनुलग्नक "क"*** में दिया है।
2. भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक ने निदेश जारी किए हैं जिनमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसका ***अनुलग्नक "ख"*** में दिया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में संबंधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं

(घ) हमारी राय, में उक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण, कंपनी यथासंशोधित (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ड) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया ***अनुलग्नक "ग"*** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें और

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नही होते हैं।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41.2 देखें।
ii. कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था ।
iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सी.ए. अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
एम नं.400460

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 10.06.2021
यूडीआईएन: 21400460एएएबीएलएक्स7670

अनुलग्नक "क"

लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

("अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के अन्तर्गत इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक "क")

हम रिपोर्ट करते हैं कि–

i) (क) कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। परिसम्पत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं ।

(ख) वर्ष के दौरान सम्पत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है तथा सत्यापन के दौरान कोई विसंगति, जो भले ही बड़ी न हो, का लेखा – बही में उपयुक्त रूप से निपटान किया है। हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है। यह भी सूचित किया जाता है कि उत्पादन सयंत्र और मशीनरी का वास्तविक सत्यातपन, उनकी अचल प्रकृति टिहरी/कोटेश्वर/पाटन/देवभूमि/ढुकवां /कासरगॉड के कारण नहीं किया जाता है।

(ग) निम्नलिखित को छोड़कर सभी अचल संपत्तियां स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर है:

परिसंपत्ति का नाम	*क्षेत्र, हेक्टेयर में*	*31.03.2021 को सकल ब्लॉक (करोड़ रूपये में)*	*31.03.2021 को निवल ब्लॉक (करोड़ रूपये में)*
पूर्ण स्वामित्व	97.98	2.50	2.50
उपयोग का अधिकारी (पट्टे पर भूमि)	485.96	309.49	296.15
डूब के अंतर्गत भूमि	411.78	38.63	22.37
उपयोग का अधिकारी (सिविल सोयम भूमि)	44.429	49.04	47.28

(ii) वर्ष के दौरान प्रबंधक वर्ग ने माल सूचियों का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर किया है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ –3 का खंड–(iii) (क) (ख) और (ग) लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा –73 से 76 तक तथा उसमे निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014, यथासंशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डो का रख–रखाव निर्धारित किया है और हमारी यह राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखाओं और रिकॉर्डों को तैयार किया गया है और बनाए रखा गया है। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्डों की विस्तृत जांच नहीं की है कि क्या ये सटीक और सत्य है।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रकियाधीन है।

(vii) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सम्पंत्ति कर, सेवा कर तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2021 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पैष्टीकरण के आधार पर विवादित बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर और उप कर, यदि कोई हो, का ब्यौरा 31 मार्च, 2021 के अनुसार निम्नानुसार हैं:–

संविधि का नाम	*ड्यूटी की प्रकृति*	*राशि (रूपये लाख में)*	*जिस वित्त वर्ष से संबंधित हैं*	*विरोध सहित जमा (रूपये लाख में)*	*मंच जहां मामला लंबित हैं*
विद्युत उत्पादन अधिनियम, 2012 पर उत्तराखंड जल कर	जल उपकर	634.43	2015–16 से 2020–21	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014	हरित ऊर्जा उपकर	196.47	2015–16 से 2020–21	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम,1996	कामगार उपकर	7.18	2004–05 से 2014–15	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 234 बीसी के अंतर्गत छूट	1.72	2006–07	शून्य	एसीआईटी, देहरादून
कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995	पेंशन अंशदान	3.53	जुलाई, 1991 से 2010	शून्य	सीजीआईटी, लखनऊ
कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 एवं ईडीएलआई स्कीम, 1976	विलंबित भुगतान/ निरीक्षण प्रभार	14.84	जुलाई, 1991 से 2010	शून्य	सीजीआईटी, लखनऊ

(viii) हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के अनुसार तथा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की।

(ix) कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण लिखितों अर्थात् निजी प्लेसमेंट आधार पर कारपोरेट बांड (श्रृंखला–3 और 4) के माध्यम से जुटाए गए धन का इस्तेमाल पहले से किए जा चुके व्यय और सावधि ऋणों को पूरा करने सहित निर्माणाधीन चल रही परियोजनाओं की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया।

(x) भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन को इस तरह के मामले की कोई सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(xi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार प्रदत्त छूट तथा धारा 197 सह–पठित अधिनियम की अनुसूची–V प्रबंधन पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(xii) हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) हमारी राय तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियों के सभी लेन देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुरूप हैं तथा ऐसी लेन–देनों के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

(xiv) प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण, लेखापरीक्षा प्रक्रिया निष्पादन के अनुसार कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानी अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्ण अथवा आंशिक परिवतनीय डिबेंचरों का आबंटन समीक्षागत वर्ष के दौरान नहीं किया। अतएव आदेश के खंड 3(XIV) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते।

(xv) हमारी राय और कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे जुडे व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नही किया। अतएव आदेश के खंड–3 (XV) प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(xvi) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने के आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड 3 (XVI) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सी.ए. अविचल एस.एन. कपूर)

साझेदार

एम नं.: 400460

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 10.06.2021

अनुलग्नक "ख"

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के क्रम में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी निर्देश

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–ख)

क्र. सं.	*निर्देश*	*उत्तर*
1.	क्या कंपनी में लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से प्रौसेस करने का सिस्टम मौजूद है? यदि हाँ, तो लेखांकन संबंधी लेन–देन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से न करने पर लेखाओं की निष्ठा के साथ–साथ वित्तीय विवरणों पर पडने वाले प्रभावों, यदि कोई हो, के बारे में बताएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन कंपनी द्वारा कार्यान्वित एफएमएस प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं।
2.	क्या किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते डालने का कोई मामला प्रकाश में आया है जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसा मामलों का उपयुक्त लेखा–जोखा दिया जाता है?	हमारे सत्यापन और हमें दी गई जानकारी और विवरणों के आधार पर किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते डालने का मामले नहीं था जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को सभी किश्तों और उन पर दिए जाने वाले ब्याज के भुगतान पर ऋण स्थगन प्रदान करने की अनुमति दी है। टीएचडीसी इंडिया लि. ने पीएनबी से मध्यावधि ऋण और अल्पावधि ऋण के लिए उपरोक्त ऋण स्थगन सुविधा प्राप्त की है तथा एसबीआई से कार्यशील पूंजी सीमा प्राप्त की है। कंपनी ने अदायगी की संशोधित अनुसूची का पालन किया है और इसका उचित लेखा–जोखा दिया गया है।

क्र. सं.	निर्देश	उत्तदर
3.	क्या विशिष्ट स्कीमों के लिए केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों का हिसाब किताब इसकी शर्तों के अनुसार रखा गया / उपयोग किया गया।	लेखा परीक्षा प्रक्रिया और हमें दी गई जानकारी और विवरणों के आधार पर केंद्र सरकार से विशिष्ट स्कीमों (परियोजनाओं) के लिए प्राप्त की गई निधियों (इक्विटी) का हिसाब किताब भली–भांति रखा गया तथा संबंधित शर्तों के अनुसार प्रयोग किया गया।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं. 001545सी

(सी.ए. अविचल एस.एन. कपूर)

साझेदार

एम नं. 400460

स्थानः लखनऊ

दिनांक 10.06.2021

अनुलग्नक "ग"

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(इस तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3(च) में "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" संबंधी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक "ग")

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च, 2021 की वित्तीय रिपोर्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ वित्तीय विवरणों की इसी तारीख को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख– रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल हैं। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने,लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है ।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय लेखांकन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विवरण (द गाइडंस नोट) पर लागू हैं और ये दोनों ही 'आईसीएआई' द्वारा जारी हैं । इस मानक और मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अंतरित वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारे वित्तीय लेखांकन पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन का जोखिम मूल्यांकन, का वास्तविक जोखिम निर्धारण है तथा परीक्षण और डिजाइन तथा आंतरिक नियंत्रण में जोखिम अनुमान के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएँ वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है ।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्यकंपनी के वित्तीय लेखांकन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि स्टैंडएलोन वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय

व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका स्टैंडएलोन वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना सहित गलत विवरण, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, की अन्तर्निहित सीमा के कारण, पता नहीं लगाया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की भावी अवधि हेतु कोई भी मूल्यांकन जोखिम भरा हो सकता है, स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग अपर्याप्त हो सकती है। नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है ।

राय

हमारी राय में कंपनी में वित्तीय लेखांकन पर सभी प्रकार की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय लेखांकन यह आंतरिक वित्तीय प्रणाली 31 मार्च, 2021 को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है। कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी नोट पर आधारित है।

प्रबंधन वर्ग द्वारा कंपनी के निष्पादन पर कोविड–19 के प्रभाव के मूल्यांकन के संबंध में स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 41.4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और उसका उल्लेख स्वतंत्र निदेशकों की रिपोर्ट के 'मामले पर बल' संबंधी पैराग्राफ में किया गया है।

इस मामले के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सी.ए. अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
एम नं.400460

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 10.06.2021

सत्यमेव जयते

गोपनीय

संख्या.:DGA (Energy)/Rep/01-56/THDC-SFS/2021-22/Vol. V/311

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (ENERGY)
DELHI

दिनांक/Dated: 13.08.2021

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
टी. एच. डी. सी. इंडिया लिमिटेड
ऋषिकेश

महोदय,

विषय:- **31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए टी. एच. डी. सी. इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों।**

मैं, टी. एच. डी. सी. इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्नक:- यथोपरि।

(डी. के. शेखर)
महानिदेशक

छटा एवं सातवीं तल, ऐनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
6th & 7th floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110002
Tel: 011-23239227, Fax: 011-23239211, E-mail: pdaenergydl@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 10 जून, 2021 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गयी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आयी है जिसमें अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने या उसमें वृद्धि करने की स्थिति आएगी।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

के लिए एवं उनकी ओर से

(डी. के. शेखर)

महालेखा परीक्षक (ऊर्जा)

दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 13 अगस्त, 2021

समेकित वित्तीय विवरण 2020–21

तुलन पत्र

लाभ एवं हानि का विवरण

नकदी प्रवाह विवरण

लेखा संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की अभ्युक्तियां

31 मार्च, 2021 के अनुसार समेकित तुलन–पत्र

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
(क) संपत्ति, प्लांट एवं पुर्जे	2		6,562.04		6,591.99
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		6,420.71		4,989.80
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2		0.39		0.20
(घ) परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार	2		410.83		380.71
(ड.) सहायक कंपनी में निवेश	4		0.00		0.00
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) ऋण	5	39.24		38.89	
(ii) अग्रिम	6	0.01	39.25	0.01	38.9
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7		871.39		939.71
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	8		32.49		24.55
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9		1,906.22		1,582.89
चालू परिसंपत्तियां					
(क) माल सूची	10		34.94		32.42
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
i) प्राप्य व्यापार	11	1,055.48		1,868.94	
ii) नकदी तथा नकदी समकक्ष	12	232.30		25.2	
iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	13	0.00		0.58	
iv) ऋण	14	9.43		8.36	
v) अग्रिम	15	502.32		500.99	
vi) अन्य	16	357.57	2,157.10	257.06	2,661.13
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	17		60.81		60.37
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	18		54.35		59.73
नियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	19		169.72		186.22
कुल योग			**18,720.24**		**17,548.62**
इक्विटी एवं देयताएं					
इक्विटी					
क) इक्विटी शेयर पूंजी	20		3,665.88		3,665.88
ख) अन्य इक्विटी	21		6,251.36		5,866.59
मूल कंपनी के स्वामियों को आरोप्य कुल इक्विटी			**9,917.24**		**9,532.47**
गैर–नियंत्रणीय हित			2.53		0
कुल इक्विटी			**9,919.77**		**9,532.47**

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
गैर चालू देनदारियां					
क) वित्तीय देनदारियां					
(i) ऋण	22	5,023.69		3,956.96	
(ii) गैर चालू वित्तीय देनदारियां	23	28.11	5,051.80	25.38	3,982.34
ख) अन्य गैर चालू देनदारियां	24		796.53		821.97
ग) प्रावधान	25		190.37		190.85
चालू देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां					
i) ऋण	26	700.00		1,115.06	
ii) व्यापार देयताएं					
क. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम की कुल बकाया देयताएं		0.42		0.66	
ख. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम को छोड़कर क्रेडिटर की कुल बकाया देयताएं		24.65		21.37	
iii) अन्य	27	1,001.78	1,726.85	891.54	2,028.63
(ख) अन्य चालू देयताएं	28		143.04		94.26
(ग) प्रावधान	29		341.65		279.47
(घ) गैर कर चालू देनदारियां (निवल)	30		0.00		0.00
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	31		550.23		618.63
कुल योग			**18,720.24**		**17,548.62**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन	41				
लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां	42				
1 से 42 तक की टिप्पणियां लेखाओं का अभिन्न अंग हैं					

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	***(जे. बेहेरा)***	***(विजय गोयल)***
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का समेकित विवरण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
लगातार प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	32		1,796.01		2,123.10
अन्य आय	33		706.00		282.26
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		18.80		63.74	
घटाएं: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	18.80	0.00	63.74	0.00
कुल राजस्व			**2,502.01**		**2,405.36**
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	34		388.78		360.30
वित्त लागत	35		181.93		240.34
मूल्यह्रास और परिशोधन	2		317.33		576.10
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	36		230.75		239.33
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण, डब्ल्यूआईपी और स्टोर एवं स्पेयर हेतु प्रावधान	37		0.25		0.00
कुल व्यय			**1,119.04**		**1,416.07**
विनियामक आस्थगित खाता शेष, विशेष मदें और कर पूर्व लाभ			**1,382.97**		**989.29**
विशेष मदें–(आय)/व्यय–निवल			35.65		0.00
कर पूर्व लाभ और नियामक आस्थगित खाता शेष			**1,347.32**		**989.29**
कर व्यय	38				
चालू कर					
आयकर			229.60		163.12
आस्थगित कर–(परिसंपत्ति)/देयता			68.40		(53.02)
I विनियामक आस्थगित खाता शेष से पूर्व अवधि के लिए लाभ			**1,049.32**		**879.19**
विनियामक आस्थगित खाता शेष आय/(व्यय)–निवल कर	39		42.83		41.06
लगातार परिचालनों से अवधि के लिए लाभ			**1,092.15**		**920.25**
II अन्य बृहत आय					
(i) मदें जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं की जाएंगी:					
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	40		0.23		(12.47)
परिभाषित हित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आस्थगित कर हितलाभ योजनाएं– आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)			0.08		(4.35)
अन्य बृहत् आय			**0.31**		**(16.82)**

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
कुल बृहत् आय (I+II)			**1,092.46**		**903.43**
निम्नलिखित को आरोप्य लाभ					
मूल कंपनी के स्वामी			1,092.22		920.25
गैर–नियंत्रणीय हित			(0.07)		0.00
कुल			**1,092.15**		**920.25**
निम्नलिखित को आरोप्य अन्य व्यापक आयः					
मूल कंपनी के स्वामी			0.31		(16.82)
कुल			**0.31**		**(16.82)**
निम्नलिखित को आरोप्य अन्य व्यापक आय					
मूल कंपनी के स्वामी			1,092.53		903.43
गैर–नियंत्रणीय हित			(0.07)		0.00
कुल			**1,092.46**		**903.43**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित)					
बेसिक (रूपये)			297.94		251.22
तनुकृत (रूपये)			297.94		251.14
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन रहित)					
बेसिक (रूपये)			286.26		240.01
तनुकृत (रूपये)			286.26		239.94
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन	41				
जोखिम प्रबंधन	42				
लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां, 1 से 42 तक की टिप्पणी इन लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।					

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	***(जे. बेहेरा)***	***(विजय गोयल)***
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)

साझेदार

सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021

स्थान : लखनऊ

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

राशि करोड़ ₹ में

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के है)

विवरण	*31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
विशेष मदों और कर पूर्व लाभ		**1,382.97**		**989.29**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
मूल्यह्रास	317.33		576.10	
मूल्यह्रास – सिंचाई घटक	18.80		63.74	
प्रावधान	0.25		–	
विलंबित भुगतान अधिभार	(660.94)		(225.68)	
वित्तीय लागत	181.93		240.34	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	0.23		(0.24)	
अन्य बृहत आय (ओसीआई)	0.23		(12.47)	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	–		–	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	(42.83)		(41.06)	
विशेष मदें	(35.65)		0.00	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर	(9.07)	(229.72)	(8.69)	592.04
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,153.25**		**1,581.33**
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
माल सूची	(2.78)		(1.82)	
प्राप्य व्यापार (अनबिल्ड राजस्व सहित)	712.95		(424.72)	
अन्य परिसंपत्तियां	7.88		(471.59)	
ऋण और अग्रिम (चालू + गैर चालू)	(9.80)		8.90	
माइनोरिटी हित	0.07		-	
व्यापार देय और देनदारियां	202.48		(46.97)	
प्रावधान (वर्तमान + गैर चालू)	61.70		(47.44)	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	42.83	1,015.33	41.06	(942.58)
कर पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**2,168.58**		**638.75**
कारपोरेट कर		(229.60)		(163.12)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**1,938.98**		**475.63**

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह निम्नलिखित में परिवर्तन				
संपत्ति, संयंत्र, उपस्कर और सीडब्ल्यूआईपी	(1,767.40)		(1,227.21)	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	(0.23)		0.24	
पूँजी अग्रिम	(327.16)		(373.86)	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		**(2,094.79)**		**(1,600.83)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	–		7.00	
उधारियां	1,005.88		1,345.47	
पट्टा संबंधी दायित्व	(2.28)		15.88	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	(181.93)		(240.34)	
विलंबित भुगतान अधिभार	660.94		225.68	
गैर–नियंत्रणीय हित से पूंजीगत अंशदान	2.53		0.00	
लाभांश तथा लाभांश पर कर	(707.75)		(151.90)	
वित पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह(ग)		**777.39**		**1,201.79**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**621.58**		**76.59**
ड. आरंभिक नकदी तथा नकदी समकक्ष		**(1,089.28)**		**(1,165.87)**
च. समापन नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ+ड.)		**(467.70)**		**(1,089.28)**

टिप्पणी:

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में शून्य रूपये (गत वर्ष में 0.58 करोड़ रूपये) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः समूहबद्ध/पुनः दर्शित किया गया है।
3. नकदी और नकदी समकक्ष का नोट सं. 42.21 (क) में समाधान कर दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	*(जे. बेहेरा)*	*(विजय गोयल)*
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		**3,665.88**

ख. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय	कुल	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)			
अथ शेष (1)		**4.00**	**5,845.53**	**39.00**	**(17.95)**	**5,866.58**	**0.00**	**5,866.58**
वर्ष के लिए लाभ			1,092.22			1,092.22	(0.07)	1,092.15
अन्य बृहत् आय					0.31	0.31		0.31
कुल बृहत् आय			**1,092.22**		**0.31**	**1,092.53**	**(0.07)**	**1,092.46**
गैर नियंत्रित ब्याज से इक्विटी अंशदान							2.60	
लाभांश			707.75			707.75		707.75
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय	कुल	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)			
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)			**384.47**			**384.78**		**384.71**
डिबेंचर मोचन आरक्षित को स्थानान्तरित/समायोजन (iii)			(40.50)			(40.50)		(40.50)
अवधि के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/(उपयोग/समायोजित) (IV)				40.50		40.50		40.50
अंतशेष (I+II+III+IV)		**0.00**	**6,189.50**	**79.50**	**(17.64)**	**6,251.36**	**2.53**	**6,251.29**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

(विजय गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

क. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,654.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		11.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		**3,665.88**

ख. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय	कुल	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बिमांकिक लाभ/(हानि)			
अथ शेष (1)		**4.00**	**5,071.18**	**45.00**	**(1.12)**	**5,119.06**	**0.00**	**5,119.06**
वर्ष के लिए लाभ			920.25			920.25	0.00	920.25
अन्य बृहत् आय					(16.82)	(16.82)		(16.82)
कुल बृहत् आय			**920.25**		**(16.82)**	**903.43**	**0.00**	**903.43**
गैर नियंत्रित ब्याज से इक्विटी अंशदान							0.00	
लाभांश			126.00			126.00		126.00
लाभांश पर कर			25.90			25.90		25.90

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय	कुल	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बिमांकिक लाभ/(हानि)			
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)			**768.35**			**751.53**		**751.53**
डिबेंचर मोचन आरक्षित को स्थानान्तरित (iii)			6.00			6.00		6.00
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/(उपयोग) (IV)				(6.000)		(6.000)		(6.000)
वर्ष के दौरान लंबित शेयर पूँजी आबंटन जमा/(आबंटित) (V) (निवल)		(4)				(4)		(4)
अंत शेष (I+II+III+IV+V)		**0.00**	**5,845.53**	**39.00**	**(17.94)**	**5,866.59**	**0.00**	**5,866.59**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

(विजय गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

टिप्पणी संख्या–1

कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. समूह की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

टीएचडीसी लिमिटेड ('कंपनी' या 'धारक कंपनी') भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएनः यू45203यूआर1988जीओआई009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)। कंपनी प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

ख. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1.1 ये समेकित वित्तीय विवरण, लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

इन समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 09.06.2021 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

1.2 इन समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की प्रयोजनयूलक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तु की गई सभी वित्तीय सूचनाएं लाख के निकटतम पूर्णांक में दी गई है, जबकि अन्यथा न कहा गया हो।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

1.1 विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. समेकन का आधार

समेकन के प्रयोजन से सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक के लिए तैयार किए गए हैं जिसके लिए कंपनी के विवरण तैयार किए गए हैं।

सहायक कंपनी

सहायक कंपनी वह संस्था है जिस पर समूह का नियंत्रण है। समूह किसी संस्था को तब नियंत्रित करता है जब समूह का उस संस्था में शामिल होने से अस्थिर प्रतिफल का अधिकार होता है या निवेशी की संगत गतिविधियों को निर्देशत करने के लिए अपने अधिकारों के माध्यम से ऐसे प्रतिफल को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक कंपनी समूह द्वारा नियंत्रण के अधिग्रहण की तारीख से पूर्ण

समेकित है और तब तक समेकित रहेगी जब तक कि ऐसे नियंत्रण समाप्त न हो जाएं।

समूह, मूल कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों जैसे परिसंपत्तियों की मदें, इक्विटी, आय और व्यय को एक साथ पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकीकृत करता है। समूह की कंपनियों के बीच संव्यवहारों पर अंतर–कंपनी लेन–देन, शेष और अप्राप्य लाभों को निकाल दिया जाता है। अप्राप्य हानियों को भी निकाल दिया जाता है जब तक कि लेन–देन स्थानांतरित परिसंपत्ति की हानि के साक्ष्य प्रदान नहीं करता है। आवश्यकता पड़ने पर, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए उनके वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर–नियंत्रणीय हित (एनसीआई) को क्रमशः लाभ और हानि के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित तुलनपत्र में अलग से दर्शाया जाता है।

सहायक कंपनी में समूह के इक्विटी हित में परिवर्तन, जिनके परिणामस्वरूप कोई नियंत्रण हानि नहीं होती है, को इक्विटी लेन–देन के रूप में दर्ज किया जाता है।

जब किसी सहायक कंपनी से समूह का नियंत्रण हट जाता है, तो यह सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं और किसी संबंधित एनसीआई एवं इक्विटी के अन्य घटकों को अमान्य कर देता है। पूर्ववर्ती सहायक कंपनी में बरकरार किसी अन्य हित का नियंत्रण हटने की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी परिणामी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। उस सहायक कंपनी के संबंध में पूर्व में अन्य विस्तृत आय में मान्य अन्य सभी राशियों को ऐसे दर्ज किया जाता है जैसे समूह ने प्रत्यक्ष रूप से सहायक कंपनी की संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं को निस्तारित किया है अर्थात् लागू इंड एएस द्वारा यथानिर्दिष्ट लाभ और हानि के समेकित विवरण में पुनःवर्गीकृत किया है या इक्विटी में अंतरित किया है। यह उचित मूल्य सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में प्रतिधारित हित के लिए अनुवर्ती लेखांकन के प्रयोजनों के लिए आरम्भिक वहन राशि बना जाता है।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

3.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

3.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आने वाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

3.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया हो, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित

नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में उन्हें मान्यता दी जाती है।

3.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, यदि यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करती हो। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष अग्रेषण राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृह्द निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृह्द निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

3.5 पीपीई की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से अनपेक्षित आर्थिक लाभ अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

3.6 भूमि जिस पर पीपीई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपीई में शामिल की जाती है।

3.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

4. चल रहे पूंजीगत कार्य

4.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

4.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति को व्यावसायिक प्रचालन तिथि से डूब के अंतर्गत भूमि के रुप में पूंजीकृत किया जाता है।

4.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

4.4 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

4.5 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

4.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती हैं।

5. कोयला खानों के विकास पर व्यय

5.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत "कोयला खानों के विकास" को हस्तांतरित कर दी जाती हैं।

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

6.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। "पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस)" को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

6.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों को लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटाकर नियत की जाती है।

6.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

6.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

7.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया।

तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

7.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों

को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

8. उचित मूल्य माप

8.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

8.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत की माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

8.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर– 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर– 2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

8.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

9. संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

9.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

9.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

9.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

3) लाभ/हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

9.4 ***प्रारंभिक पहचान और माप:*** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती

हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

9.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

9.6 ***तदन्तर माप:*** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

9.7 ***अमान्य–पहचान (डी रिकागनिशन)*** – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

10. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं– बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

11. माल–सूची

11.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

11.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

12. वित्तीय देनदारियां

12.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।

12.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

12.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

12.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

12.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

12.4 उत्तरवर्ती माप

12.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियां तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

12.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

12.5 अमान्य करना : किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

13. सरकारी अनुदान

13.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

14.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

14.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

15. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

15.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हस्तांरित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हंस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हस्तांरित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के संबंध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके संबंध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

15.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

15.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

15.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

15.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

15.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

15.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

15.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

15.9 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

15.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

15.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

16. व्यय

16.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

16.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटियां पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

16.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

16.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

16.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

16.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

16.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

17. कर्मचारियों के हितलाभ

17.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

17.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

17.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

18. ऋण लागत

18.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशायित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

18.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

19. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

19.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध है, प्रभारित किया जाता है।

19.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

19.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

19.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रूपये 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

19.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/– रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

19.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

19.7 भूमि के प्रयोग के अधिकार की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

19.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

19.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

20. माल सूची की अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

20.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

21. पट्टे

21.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों के अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन

हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

22. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

22.1 वर्तमान आयकर – आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन– पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

22.2 आस्थगित कर

22.2.1 तुलन–पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन– पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि

भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

22.2.2 प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन– पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

22.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

22.2.4 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चितता कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चितता का परिणाम भली–भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि अनिश्चितता के सर्वोत्तम समाधान को तय करता है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

23.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन– पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन– पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

24. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन– पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

24.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

25. विनियामक आस्थगित खाता शेष

25.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय/आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।

25.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

25.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

26. प्रति शेयर आय

26.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

27. लाभांश

27.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

28. प्रचालन खंड

28.1 एएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए करता है। इंडएएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" या "सीओडीएम" कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड के परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर

परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंडएएस–108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

29. विविध

29.1 समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता हैद्य आसमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जबतक वे गौण न हों।

टिप्पणी: 2

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*सकल ब्लॉक*				*मूल्य ह्रास*				*निवल ब्लॉक*	
	01 अप्रैल, 2020के अनुसार	*वर्ष के दौरान वृद्धि*	*वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन*	*31 मार्च, 2021 के अनुसार*	*01 अप्रैल, 2020 के अनुसार*	*01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच की अवधि के लिए*	*वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन*	*31 मार्च, 2021 के अनुसार*	*31 मार्च, 2021 के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 के अनुसार*
क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	38.25	1.58	–	39.83	–	–	–	–	39.83	38.25
2. जलमग्न भूमि	1,687.50	10.73	–	1,698.23	669.62	38.86	–	708.48	989.75	1,017.88
3. भवन	1,049.38	19.96	–	1,069.34	287.09	34.41	–	321.5	747.84	762.29
4. अस्थायी भवन ढांचे	24.39	0.25	–	24.64	24.39	0.11	–	24.5	0.14	–
5. सड़क, पुल तथा पुलिया	173.65	13.05	(0.02)	186.68	44.39	7.32	–	51.71	134.97	129.26
6. ड्रेनेज/सीवरेज तथा जलापूर्ति	22.35	0.32	–	22.67	9.14	1.10	–	10.24	12.43	13.21
7. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	24.46	0.01	–	24.47	14.70	1.40	–	16.1	8.37	9.76
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,177.93	240.73	(0.02)	3,418.64	1,501.82	106.01	–	1,607.83	1,810.81	1,676.11
9. ई.डी.पी. मशीनें	18.17	1.51	(0.38)	19.30	11.31	2.47	(0.30)	13.48	5.82	6.86
10. विद्युत संस्थापनाएं	45.77	0.78	–	46.55	10.42	1.13	–	11.55	35	35.35
11. पारेषण लाइनें	26.66	5.55	–	32.21	16.12	1.32	–	17.44	14.77	10.54
12. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	61.17	8.76	(0.06)	69.87	46.98	5.37	(0.05)	52.3	17.57	14.19
13. फर्नीचर तथा फिक्सचर	29.06	5.13	(0.04)	34.15	16.61	2.76	–	19.37	14.78	12.45
14. वाहन	22.53	0.79	–	23.32	10.77	1.72	–	12.49	10.83	11.76
15. रेलवे साइडिंग	1.22	–	–	1.22	0.52	0.07	–	0.59	0.63	0.70
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,190.62	–	–	5,190.62	3,063.29	105.3	–	3,168.59	2,022.03	2,127.33
17. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,606.20	–	–	1,606.20	880.16	29.57	–	909.73	696.47	726.04
उप–योग	**13,199.31**	**309.15**	**(0.52)**	**13,507.94**	**6,607.33**	**338.92**	**(0.35)**	**6,945.90**	**6,562.04**	**6,591.98**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**12,756.51**	**444.99**	**(2.18)**	**13,199.32**	**5,959.74**	**649.26**	**(1.67)**	**6,607.33**	**6,591.99**	**6,796.77**
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां										

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2020के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
1. अमूर्त परिसंपत्तियां–साफ्टवेयर	4.71	0.42	–	5.13	4.51	0.23	–	4.74	0.39	0.20
उप–योग	**4.71**	**0.42**	**–**	**5.13**	**4.51**	**0.23**	**–**	**4.74**	**0.39**	**0.20**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**4.71**	**–**	**–**	**4.71**	**3.86**	**0.65**	**–**	**4.51**	**0.2**	**0.85**
ग. परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार										
1. भूमि के प्रयोग का अधिकार	384.01	49.04	–	433.05	12.45	15.77	–	28.22	404.83	371.56
2. भवन के प्रयोग का अधिकार	3.85	0.59	(0.07)	4.37	1.22	1.27	(0.04)	2.45	1.92	2.63
3. वाहन के प्रयोग का अधिकार	7.35	1.51	(0.09)	8.77	0.84	3.94	(0.09)	4.69	4.08	6.51
उप–योग	**395.21**	**51.14**	**(0.16)**	**446.19**	**14.51**	**20.98**	**(0.13)**	**35.36**	**410.83**	**380.7**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**39.05**	**356.16**	**–**	**395.21**	**5.68**	**8.82**	**–**	**14.5**	**380.71**	**33.37**
मूल्यह्रास का ब्यौरा					चालू वर्ष		पूर्व वर्ष			
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास					24.00		18.89			
पी एंड एल विवरण को हस्तांतरित मूल्यह्रास					317.33		576.1			
पी एंड एल विवरण को हस्तांरित मूल्यह्रास					18.8	360.13	63.74	658.73		
वर्ष के दौरान रूपये 1500.00 से अधिक परंतु रूपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया					0.16		0.21			

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 × 100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रूपये के कल्पित मूल्य पर लेखांकित की गई है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान की गई मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अन्य अयोग्य सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के स्वामित्व वाले हक विलेख के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.5 में दिए गए है।

2.4 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.6 में दिए गए है।

टिप्पणी : 2

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*सकल ब्लॉक*				*मूल्य ह्रास*				*निवल ब्लॉक*	
	01 अप्रैल, 2019 के अनुसार	*वर्ष के दौरान वृद्धि*	*वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन*	*31 मार्च, 2020 के अनुसार*	*01 अप्रैल, 2019 के अनुसार*	*01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के बीच की अवधि के लिए*	*वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन*	*31 मार्च, 2020 के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 के अनुसार*	*31 मार्च, 2019 के अनुसार*
क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	38.25	–	–	38.25	–	-	–	-	38.25	38.25
2. जलमग्न भूमि	1,651.32	36.18	–	1,687.50	614.30	55.32	–	669.62	1,017.88	1,037.02
3. भवन	1,005.15	44.23	–	1,049.38	252.90	34.19	–	287.09	762.29	752.25
4. अस्थायी भवन ढांचे	24.18	0.21	–	24.39	24.18	0.21	–	24.39	-	–
5. सड़क, पुल तथा पुलिया	162.58	11.07	–	173.65	38.40	5.99	–	44.39	129.26	124.18
6. ड्रेनेज/सीवरेज तथा जलापूर्ति	22.35	–	–	22.35	7.59	1.55	–	9.14	13.21	14.76
7. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	22.45	2.17	(0.16)	24.46	13.49	1.31	(0.10)	14.70	9.76	8.96
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,051.28	127.14	(0.49)	3,177.93	1,335.02	167.11	(0.31)	1,501.82	1,676.11	1,716.26
9. ई.डी.पी. मशीनें	16.09	3.46	(1.38)	18.17	10.05	2.45	(1.19)	11.31	6.86	6.04
10. विद्युत संस्थापनाएं	45.77	–	–	45.77	9.14	1.28	–	10.42	35.35	36.63
11. पारेषण लाइनें	25.84	0.82	–	26.66	11.74	4.38	–	16.12	10.54	14.10
12.कार्यालय तथा अन्य उपकरण	58.66	2.58	(0.07)	61.17	29.03	18.00	(0.05)	46.98	14.19	29.63
13. फर्नीचर तथा फिक्सचर	26.69	(2.40)	(0.02)	29.07	12.30	4.31	–	16.61	12.46	14.39
14. वाहन	20.73	1.86	(0.06)	22.53	8.74	2.05	(0.02)	10.77	11.76	11.99
15. रेलवे साइडिंग	1.22	–	–	1.22	0.45	0.07	–	0.52	0.70	0.77
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,184.15	6.47	–	5,190.62	2,789.25	274.04	–	3,063.29	2,127.33	2,394.90
17. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,399.80	(206.40)	–	1,606.20	803.16	77.00	–	880.16	726.04	596.64
उप–योग	**12,756.51**	**444.99**	**(2.18)**	**13,199.32**	**5,959.74**	**649.26**	**(1.67)**	**6,607.33**	**6,591.99**	**6,796.77**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**12,619.85**	**139.50**	**(2.84)**	**12,756.51**	**5,327.52**	**634.67**	**(2.45)**	**5,959.74**	**6,796.77**	**7,292.33**

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2019 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	01 अप्रैल, 2019 के अनुसार	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां–साफ्टवेयर	4.71	–	–	4.71	3.86	0.65	–	4.51	0.20	0.85
उप–योग	**4.71**	**–**	**–**	**4.71**	**3.86**	**0.65**	**–**	**4.51**	**0.20**	**0.85**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**3.97**	**0.74**	**–**	**4.71**	**3.64**	**0.22**	**–**	**3.86**	**0.85**	**0.33**
ग. परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार										
1. भूमि के प्रयोग का अधिकार	39.05	344.96	–	384.01	5.68	6.77	–	12.45	371.56	33.37
2. भवन के प्रयोग का अधिकार	–	3.85	–	3.85	–	1.21	–	1.21	2.64	–
3. वाहन के प्रयोग का अधिकार	–	7.35	–	7.35	–	0.84	–	0.84	6.51	–
उप–योग	**39.05**	**356.16**	**–**	**395.21**	**5.68**	**8.82**	**–**	**14.50**	**380.71**	**33.37**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**39.05**	**–**	**–**	**39.05**	**3.82**	**1.86**	**–**	**5.68**	**33.37**	**35.23**
मूल्य ह्रास का ब्यौरा					*पिछले वर्ष*		–			
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास					18.89		12.60			
पी एंड एल विवरण को हस्तांरित मूल्यह्रास					576.10		555.00			
पी एंड एल विवरण को हस्तांतरित मूल्यह्रास उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					63.74	658.73	69.15	636.75		
वर्ष के दौरान रूपये 1500.00 से अधिक परंतु रूपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया					0.21		0.29			

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 × 100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रूपये के कल्पित मूल्य पर लेखांकित की गई है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान की गई मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अन्य अयोग्य सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के स्वामित्व वाले हक विलेख के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.5 में दिए गए है।

2.4 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.6 में दिए गए है।

टिप्पणी: 3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल 2020 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि			31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार
			वर्ष 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान वृद्धि	वर्ष 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान समायोजन	वर्ष 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान पूंजीकरण	
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		117.72	39.5	(2.17)	(19.42)	135.63
सड़क–पुल तथा पुलिया		25.04	22.87	(0.01)	(12.94)	34.96
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		5.04	0.24	0.94	(0.11)	6.11
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		1,672.55	998.43	(2.70)	(239.10)	2,429.18
हाइड्रोलिक कार्य, बांध, स्पिलवेज, जलमार्ग चैनल्स वियर्स, सर्विस गेट तथा अन्य हाइड्रोलिक कार्य		2,866.39	452.41	(0.11)	–	3,318.69
जलागम क्षेत्र वनीकरण		88.00	–	–	–	88.00
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		0.86	0.06	–	–	0.92
परियोजना निर्माण से सीधे जुड़े अन्य व्यय		0.00	149.17	0.00	0.00	149.17
कोयला खान का विकास		37.61	1.75	0.00	0.00	39.36
अन्य		3.87	0.65	(0.95)	(0.62)	2.95
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		98.09	2.19	(0.23)	–	100.05
निर्माण के दौरान व्यय	31.1	41.99	251.82			293.81
घटाएं: पी एंड एल को आबंटित/ प्रभारित निर्माण के दौरान व्यय	31.1		218.57			218.57
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		67.47	20.48	(0.08)	(12.59)	75.28
घटाएं : सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान		34.83	0.00	0.00	0.00	34.83
कुल योग		**4,989.80**	**1,721.00**	**(5.31)**	**(284.78)**	**6,420.71**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**4,544.34**	**1,153.66**	**7.43**	**(715.63)**	**4,989.80**

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से टिहरी पीएसपी, बीपीए और खुर्जा आदि जैसी निर्माणाधीन लगातार जारी परियोजनाएं शामिल हैं। चूँकि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए क्षति का प्रश्न नहीं उठता।

टिप्पणी: 4

गैर चालू परिसंपत्तियां–सहायक कंपनी में निवेश

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
सहायक कंपनी में निवेश					
टस्को			7.40		0.00
घटाएं: सहायक कंपनी टस्को द्वारा आबंटित शेयर पूंजी			7.40		0.00
कुल			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी: 5

गैर चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		17.79		16.50	
शोध्य समझे गए –अप्रतिभूत		6.99		9.45	
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए –प्रतिभूत		23.04		25.49	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		2.06		1.89	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**49.88**		**53.33**	
घटाएं: प्रतिभूति ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		8.90		11.86	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.80	39.18	2.66	38.81
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.05		0.08	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.02		0.01	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.07**		**0.09**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.01	0.06	0.01	0.08
उप–योग			**39.24**		**38.89**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल योग– अग्रिम			**39.24**		**38.89**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
मूलधन		0.05		0.08	
ब्याज		0.02		0.01	
कुल योग		**0.07**		**0.09**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.01	0.06	0.01	0.08
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.01		0.01	
ब्याज		0.01		0.01	
कुल योग		**0.02**		**0.02**	
घटाएं : उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02

टिप्पणी: 6

गैर चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–अग्रिम

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
अग्रिम					
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद रूप में, वस्तु रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूलनीय)					
कर्मचारियों को		0.01		0.01	
अन्य को		0.00	0.01	0.00	0.01
जमा					
अन्य जमा		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग			**0.01**		**0.01**

टिप्पणी: 7

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
आस्थगित कर देनदारियां		(29.75)		(29.75)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		901.14	871.39	969.46	939.71
कुल योग			**871.39**		**939.71**

टिप्पणी : 8

गैर चालू कर परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
जमा कर			32.49		24.55
कुल योग			**32.49**		**24.55**

टिप्पणी : 9

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
उचित मूल्यांकन के कारण अस्थगित कर्मचारी लागत			10.70		14.53
उप–योग			**10.70**		**14.53**
अग्रिम पूँजी					
अप्रतिभूत					
(i) बैंक गारंटी के विरुद्ध (951.57 करोड़ रूपए की बैंक गारंटी के लिए)		858.38		933.55	
(ii) पुनर्वास/पुनः स्थापन और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान		423.88		287.46	
(iii) अन्य		579.26		393.88	
(iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		157.39	2,018.91	77.49	1,692.38
घटायें : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			123.39		124.02
उप–योग– पूँजी अग्रिम			**1,895.52**		**1,568.36**
कुल योग			**1,906.22**		**1,582.89**

टिप्पणी: 10

माल सामग्री

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
माल सामग्री					
(भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		1.68		1.00	
यांत्रिक एवं विद्युत भंडार एवं पुर्जे		28.92		28.35	
अन्य (भंडारण एवं पुर्जे सहित)		4.44		3.01	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्य)		0.17	35.21	0.09	32.45
घटाएं: अन्य भंडारों के लिए प्रावधान			0.27		0.03
कुल योग			**34.94**		**32.42**

टिप्पणी: 11

व्यापार प्राप्य

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
(i) छः माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		448.92		1,257.14	
उधारी में हानि		67.39	516.31	100.76	1,357.90
घटाएं: –अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			67.39		100.76
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		606.56		611.80	
उधारी में हानि		0.00	606.56	0.00	611.80
कुल योग			**1,055.48**		**1,868.94**

टिप्पणी : 12

नकदी और नकदी समकक्ष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
नकदी एवं नकदी समकक्ष					
बैंक में शेष (ऑटो स्वीप, बैंक के साथ लचीला जमा सहित)			232.29		25.18
पास में चैक, ड्राफ्ट्स			0.01		0.02
कुल योग			**232.30**		**25.20**

टिप्पणी :13

नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर अन्य बैंक शेष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
अन्य बैंक शेष					
अन्य (कंपनी के द्वारा प्रयोग के लिए अनुपलब्ध बैंक में शेष)			0.00		0.58
कुल योग			**0.00**		**0.58**
13.1 बैंक में शेष, जो कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है, में एलसी/न्यायालय आदेश के विरूद्ध लिअन शेष है।					

टिप्पणी : 14

चालू वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–ऋण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		6.54		6.16	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		2.53		2.71	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		1.87		1.74	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.08		0.09	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**11.02**		**10.7**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.21		1.87	
घटाएं:अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.32	9.49	0.41	8.42
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.02		0.02	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
उप–योग			**9.51**		**8.44**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.08		0.08
कुल अग्रिम			**9.43**		**8.36**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.02		0.02	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल योग		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.00		0.00	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल योग		**0.00**		**0.00**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.00

टिप्पणी :15

चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–अग्रिम

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		6.42		4.78	
अन्य को		0.35	6.77	0.35	5.13
जमा					
प्रतिभूति जमा		14.65		12.72	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		480.88		483.12	
अन्य जमा		0.02	495.55	0.02	495.86
कुल योग			**502.32**		**500.99**

टिप्पणी :16

चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
अन्य					
अन्य अनबिल्ड राजस्व			357.57		257.06
कुल योग			**357.57**		**257.06**

16.1 अनबिल्ड राजस्व में अप्रैल, 2021 में बिल की गई मार्च, 2021 के लिए 106.55 करोड़ रूपये की बिक्री (अप्रैल, 2020 में बिल की गई मार्च, 2020 के लिए 111.56 करोड़ रूपये की बिक्री) एवं 251.02 करोड़ रु. की लंबित प्रशुल्क याचिका के एवज में लाभार्थियों से शेष शामिल है (वसूलनीय 267.50 करोड़ रु. एवं देय 16.48 करोड़ रु.) (पूर्वावधि में 145.48 करोड़ रु. था जिसमें वसूलनीय 161.96 करोड़ रु. था और देय 16.48 करोड़ रु. था)

टिप्पणी :17

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
जमा किया गया कर			60.81		60.37
कुल योग			**60.81**		**60.37**

टिप्पणी : 18

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
पूर्व भुगतान व्यय			42.44		40.07
उपार्जित ब्याज			0.04		0.06
निपटान के लिए धारित बीईआर परिसंपत्तियां			0.23		0.44
उचित मूल्यांकन के कारण अस्थगित कर्मचारी लागत			1.53		2.28

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
उप योग			**44.24**		**42.85**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों को			0.49		0.18
खरीद के लिए			5.66		12.40
अन्य को			18.37		18.71
			24.52		**31.29**
घटाएं: विविध वसूलियों के प्रावधान			14.41		14.41
उप योग–अन्य अग्रिम			**10.11**		**16.88**
कुल योग			**54.35**		**59.73**

टिप्पणी : 19

विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
अथ शेष			186.22		87.81
वर्ष के दौरान निवल संचालन			(16.50)		98.41
अंत शेष			**169.72**		**186.22**

19.1 विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष 01.1.2017 से वेतन परिवर्तन के कारण वेतन एरियर के प्रभाव के कारण है जो 125.08 करोड़ रूपये विनिमय दर परिवर्तन के कारण 42.21 करोड़ और कर तथा अन्य 2.43 करोड़ रूपये है

टिप्पणी :20

शेयर पूंजी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत					II
1000/– रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,000.00	40,000,000	4,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
1000/–रूपये प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

(वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 109.85 रुपये (पिछले वर्ष 34.37 रूपये) प्रति इक्विटी शेयर की दर पर अंतिम लाभांश के रूप में 402.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में 305.04 करोड़ रुपये का भुगतान किया और कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 190.84 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 135.27 रुपये (पिछले वर्ष 109.85 रूपये) प्रति इक्विटी शेयर की दर पर कुल लाभांश 495.88 करोड़ रुपये है।) यह प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम सभा में शेयर होल्डरों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

टिप्पणी 20.1

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक, शेयर वाले शेयर धारकों का विवरण

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की सं.	%	शेयरों की सं.	%
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
1. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496
2. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**

टिप्पणी 20.2

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समाधान

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्रारंभिक		3,66,58,817	3,665.88	3,65,48,817	3,654.88
जारी		0.00	0.00	110,000	11.00
समाप्ति पर		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

20.3 कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर हैं जो प्रति शेयर 1000ध–रूपये सम मूल्य के हैं। इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयर धारकों की बैठकों में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान करने के अधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी: 21

अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
आबंटन लंबित रहते हुए शेयर आवेदन धनराशि		0.00	0.00
प्रतिधारित आय		6,189.50	5,845.53
डिवेंचर मोचन आरक्षिती		79.50	39.00
अन्य व्यापक आय		(17.64)	(17.94)
कुलयोग		**6,251.36**	**5,866.59**

21.1 नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार और दिनांक 16.08.2019 के कारपोरेट कार्य मंत्रालय सं.जी.एस.आर 574(इ) के अनुरुप कंपनी के लाभ में से विवेक सम्मत आधार पर बांडों के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से डिबेंचर मोचन आरक्षित का सृजन किया है जो बांडों के मोचन के प्रयोजन से बांडों के मोचन के वर्ष से पूर्व वर्ष तक प्रत्येक वर्ष समान किश्तों में होगा।

टिप्पणी: 22

गैर चालू–वित्तीय देयताएं–उधारियाँ

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
क. बॉंड्स					
****बॉंड्स निर्गम श्रृंखला–I–प्रतिभूत*** (7.59 प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तनीय 10 वर्षीय बांड) (प्रतिदान की तारीख 03.10.2026)			622.46		622.46
*****बांड निर्गम श्रृंखला–II–प्रतिभूत*** (8.75 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) प्रतिदान की तारीखः 05.09.2029			1,574.08		1,574.59
******बांड निर्गम श्रृंखला–III–प्रतिभूत*** (7.59 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) प्रतिदान की तारीखः 23.07.2030			839.55		0.00
^बांड निर्गम श्रृंखला–IV–प्रतिभूत (7.45 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) प्रतिदान की तारीखः 20.01.2031			760.87		0.00
कुल योग (क)			**3,796.96**		**2,197.05**
ख. प्रतिभूत					
*******पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)*** (15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.75 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			230.27		322.30
#पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–783020002 (केएचईपी के लिए)। (15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फलोटिंग ब्याज दर लागू है)			89.53		208.85
#(रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए) (यूए–जीई–पीएसयू–033–2010–3754) 30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			87.62		157.71

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
****(रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) 330001 (टिहरी– एचपीपी के लिए) (सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			95.21		190.41
@पंजाब नेशनल बैंक (पी एस पी के लिए) @पंजाब नेशनल बैंक (30.06.2019 से 31.03.2024 तक 5 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर/एम सी एल आर प्रतिवर्ष 6.90%			422.66		599.23
कुल योग (ख)			**925.29**		**1,478.50**
ग. अप्रतिभूत **विदेशी मुद्रा ऋण** **(भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)** **$विश्व बैंक ऋण–8078–आईएन (वीपीएचईपी के लिए)** (15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों के भीतर छमाही किश्तों में प्रतिदेय ब्याज दर/ एलआईबीओआर + भिन्नता विस्तार अर्थात वर्तमान में 0.95 प्रतिशत			985.06		986.99
कुल योग (ग)			**985.06**		**986.99**
घ. पट्टा दायित्व अप्रतिभूत			13.60		15.88
कुल (क+ख+ग+घ)			**5,720.91**		**4,678.42**
घटाएं: **वर्तमान परिपक्वताएं:**					
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण – प्रतिभूत			483.28		547.53
विदेशी मुद्रा ऋण – अप्रतिभूत			50.23		47.62
पट्टा दायित्व – अप्रतिभूत			4.13		5.62
प्रोद्भूत किंतु उधारियों पर अदेय ब्याज			159.58		120.69
कुल योग			**5,023.69**		**3,956.96**

*टिहरी एचपीपी चरण की चल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला –I प्रतिभूत हैं।
**टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–II प्रतिभूत हैं ।
***कोटेश्वर एचईपी एवं पाटन एवं द्वारका की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–III प्रतिभूत हैं ।
^सीडब्ल्यूआईपी की चल परिसंपत्तियों और टिहरी स्थित पम्प स्टोरेज संयंत्र की भावी चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–IV प्रतिभूत हैं ।
****टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियां अर्थात बांध पावर हाउस, सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरुप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते है। टिहरी बांध और एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी प्राधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।
#कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण
@टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के लिए हस्ताक्षरित प्रतिभूत मध्यकालिक ऋण है।
$संबंधित ऋण रैंकिंग समरूप के तहत वित्तपोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित
22.1 इसमें वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी: 23

गैर चालू वित्तीय देनदारियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
देनदारियां					
ठेकेदार आदि से जमा, प्रतिधारण राशि		31.26		27.57	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		3.15	28.11	2.19	25.38
कुल योग			**28.11**		**25.38**

टिप्पणी: 24

अन्य गैर चालू देनदारियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*
मूल्य ह्रास के विरूद्ध अग्रिम के लेखे पर आस्थगित राजस्व		197.51	205.11
सिंचाई सेक्टर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		595.87	614.67
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभः प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		3.15	2.19
कुल योग		**796.53**	**821.97**

टिप्पणी: 25

गैर चालू प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*01 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*			*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*
			वृद्धि	*समायोजन*	*उपयोग*	
1. कर्मचारियों से संबंधित		184.20	5.47	(1.05)	(4.91)	183.71
2. अन्य		6.66	0.00	0.00	0.00	6.66
कुल योग		**190.86**	**5.47**	**(1.05)**	**(4.91)**	**190.37**
पूववर्ती वर्ष के आंकड़े		**220.25**	**43.24**	**(37.91)**	**(34.73)**	**190.85**

25.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में एएस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 42.18 में कर दिया गया हैं ।
25.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय के प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणी: 26
चालू–वित्तीय देनदारियां–उधार

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक					
क. प्रतिभूत ऋण					
*भारतीय स्टेट बैंक (90 दिन के साथ संयुक्त फ्लोटिंग ब्याज दर, बिल दर वर्तमान में 6% की दर से 90 करोड़ रु. एवं 4.5% की दर से 160 करोड़ रु.)			250.00		160.00
#पंजाब नेशनल बैंक 06 माह एमसीएलआर के लिए फ्लोटिंग ब्याज दर			0.00		235.00
****बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)***					
पंजाब नेशनल बैंक (03 माह एमसीएलआर वर्तमान में 6.90% की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर)			0.00		720.06
कुल योग (क)			**250.00**		**1,115.06**
ख. अप्रतिभूत ऋण:					
एक्सिस बैंक लिमिटेड (रेपो रेट +1% के साथ संबद्ध फ्लोटिंग ब्याज दर: वर्तमान में 5%)			100.00		0.00
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (रेपो रेट . प्रसार के साथ संबद्ध फ्लोटिंग ब्याज दर: वर्तमान में 4.45%)			350.00		0.00
कुल योग (ख)			**450.00**		**0.00**
कुल			**700.00**		**1,115.06**

*भारतीय स्टेट बैंक से अल्पकालिक ऋण कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्य के माध्यम से प्रतिभूत किया जाता है।
#पंजाब नेशनल बैंक में अल्पकालिक ऋण टिहरी चरण–I और कोटेश्वर एचईपी की परिसंपत्ति ब्लाक के द्वितीय प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत किया जाता है।
**परियोजना स्थल पर मशीनरी, स्पेयर्स, औजार और अनुषंगियों ईंधन, स्टाक, स्पेयर्स एवं सामग्री सहित टिहरी चरण–I और कोटेश्वर (एचईपी) की कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लाक पर द्वितीय प्रभार के रूप में प्रतिभूत किया जाता है।

टिप्पणी: 27
अन्य चालू वित्तीय देनदारियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता					
क. प्रतिभूत			483.28		547.53
(भारतीय मुद्रा में ऋण)					
कुल (क)			**483.28**		**547.53**
ख. अप्रतिभूत			50.23		47.62
कुल (ख)			**50.23**		**47.62**
ग. पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता– अप्रतिभूत			4.13		5.62
कुल (क+ख+ग)			**537.64**		**600.77**
देनदारियां					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		0.14		0.05	
अन्य के लिए		142.94	143.08	100.99	101.04
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि		160.44		68.22	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि		0.00	160.44	0.00	68.22
आस्थगित उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			0.00		0.00
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं					
बांडधारक और वित्तीय संस्थाएं		160.62		121.51	
अन्य देनदारियां		0.00	160.62	0.00	121.51
कुल			**464.14**		**290.77**
कुल देनदारियां			**1,001.78**		**891.54**

*प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–22 में दिए गए हैं।

टिप्पणी: 28

अन्य चालू देयताएं

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
देयताएं					
मूल्यह्रास के प्रति लिए गए अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			7.60		7.60
अन्य देयताएं			116.64		67.86
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		845.31		826.51	
घटाएं:					
मूल्यह्रास के लिए समायोजन		826.51	18.80	807.71	18.80
कुल योग			**143.04**		**94.26**

टिप्पणी: 29

चालू प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*01 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*			*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*
			वृद्धि	*समायोजन*	*उपयोग*	
1. कार्य		18.32	16.24	(1.13)	(13.92)	19.51
2. कर्मचारियों से संबंधित		244.54	137.12	(5.19)	(74.32)	302.15
3. अन्य		16.62	6.21	(0.8)	(2.04)	19.99
कुल		**279.48**	**159.57**	**(7.12)**	**(90.28)**	**341.65**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**297.5**	**96.2**	**(11.16)**	**(103.07)**	**279.47**

29.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में एएस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 42.18 में कर दिया गया है।
29.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय एवं कार्यों के प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणी: 30

चालू कर देताएं (निवल)

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
आय कर					
प्रारंभिक शेष			0.00		44.94
अवधि के दौरान वृद्धि			243.05		172.55
अवधि के दौरान समायोजन			0.00		0.00
अवधि के दौरान उपयोग			(243.05)		(217.49)
अंत शेष			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी: 31

विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
प्रारंभिक शेष			618.63		569.97
वर्ष के दौरान निवल संचलन			(68.40)		48.66
अंत शेष			**550.23**		**618.63**
31 क. विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष लाभार्थियों से वसूलनीय आस्थगित कर समायोजन के कारण है					

टिप्पणी : 31.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	34				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		144.13		147.20	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		9.81		9.95	
पेंशन निधि		8.53		13.41	
उपदान		4.25		5.99	
कल्याण		3.51		4.10	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.67	170.90	0.02	180.67
अन्य व्यय	36				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		0.13		0.15	

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		0.94	1.07	1.01	1.16
दर एवं कर			0.00		1.30
विद्युत एवं ईंधन			7.78		9.27
बीमा			0.11		0.28
संचार			0.73		0.97
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयत्र एवं मशीनरी		0.04		0.02	
स्टोर एवं अतिरिक्त कल पुर्जों की खपत		0.00		0.00	
भवन		1.06		3.97	
अन्य		2.58	3.68	1.81	5.80
यात्रा एवं वाहन			0.63		1.60
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			4.91		4.64
सुरक्षा			11.5		1.98
प्रचार तथा जनसंपर्क			0.70		0.19
अन्य सामान्य व्यय			9.15		35.06
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.01		0.02
सर्वेक्षण और सर्वेक्षण व्यय			7.70		2.82
कंसल्टेंसी परियोजना / संविदा पर व्यय			14.68		0.00
ब्याज अन्य			3.15		1.56
मूल्यह्रास	2		24.00		18.89
कुल व्यय (क)			**260.70**		**266.21**
प्राप्तियां					
अन्य आय	33				
ब्याज					
बैंक जमा से		0.04		0.11	
कर्मचारियों से		0.62		0.61	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिमः प्रभावी ब्याज के लेखे में समायोजन		0.67		0.02	
अन्य से		0.15	1.48	0.00	0.74
मशीन किराया प्रभार			0.06		0.01
किराया प्राप्तियां			0.97		0.75
विविध प्राप्तियां			3.48		3.35
प्रावधान की गई अधिकार राशि को हटाना			0.00		0.01
उचित मूल्यलाभ–प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			2.84		1.28
कुल प्राप्तियां (ख)			**8.83**		**6.14**
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**251.87**		**260.07**

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
कराधान के लिए प्रावधान	38				
कराधान सहित निवल व्यय			**251.87**		**260.07**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	40		**0.05**		**(2.32)**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			41.99		28.56
कुल ईडीसी			**293.81**		**290.95**
घटाएं :					
ईडीसी को सीडब्ल्यूआईपी/परिसम्पत्ति आबंटित		218.57		241.84	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		0.00	218.57	7.12	248.96
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**75.24**		**41.99**

टिप्पणी: 32

सतत प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत बिक्री के प्रति लाभार्थियों से आय		1,770.33		2,074.79	
प्रशुल्क समायोजन के कारण विद्युत बिक्री के लाभार्थियों से आय		0.00		28.51	
जोड़ें					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		7.60		0.00	
घटाएं :					
ग्राहकों को छूट		3.61	1,774.32	3.79	2,099.51
विचलन व्यवस्थापन/संकुचन प्रभार			21.35		23.44
परामर्श से आय			0.34		0.15
कुलयोग			**1,796.01**		**2,123.10**

32.1 कंपनी ने टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए वर्ष 2019–2024 की अवधि में प्रशुल्क के निर्धारण के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष प्रशुल्क याचिका दायर की है। 2019–24 के लिए प्रशुल्क का निर्धारण लंबित रहने पर चालू वित्त वर्ष के लिए बिक्री से प्राप्त राजस्व को वित्त वर्ष 2019–20 के लेखापरीक्षित और प्रमाणित एएफसी के आधार पर मान्य किया गया है जिसकी गणना 2019–24 के लिए लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, 2019 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर की गई है।

32.2 टिहरी चरण–1 परियोजना के 12 वर्ष के वाणिज्यिक प्रचालन के पूरा होने के कारण, एडीडी ने पूर्व की आस्थिगत आय को अनुमति दी है और माना गया है और परियोजना के शेष उपयोगी जीवन अर्थात् 28 वर्ष के यथानुपात में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

टिप्पणी: 33

अन्य आय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
ब्याज					
बैंक जमा राशि पर (इसमें टीडीएस 160808.00 रूपये शामिल हैं, पिछले वर्ष 255932.00 रूपये)		0.32		2.89	
कर्मचारियों से कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के खाते में समायोजन		2.05		2.23	
कर्मचारियों से कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के खाते में समायोजन		4.93		1.77	
अन्य		0.38	7.68	0.09	6.98
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			0.06		0.01
किराया प्राप्तियां			1.73		1.45
विविध प्राप्तियां			7.18		5.59
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			34.38		45.38
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			0.01		0.30
देर से भुगतान पर अधिभार			660.94		225.68
उचित मूल्य लाभ–सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि			3.05		3.01
कुल योग			**715.03**		**288.40**
घटाएं :					
लाभग्राहियो के साथ साझा की गई गैर–प्रशुल्क आय			0.20		0.00
ईडीसी को अंतरित	31.1		8.83		6.14
कुल			**706.00**		**282.26**

टिप्पणी: 34

कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*	*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ		471.62	430.87
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान		29.25	30.20
पेंशन निधि		23.28	41.56
उपदान		17.97	19.68
कल्याण व्यय		12.63	16.90
आस्थगित कर्मचारी लागत की परिशोधन व्यय		4.93	1.76
कुल		**559.68**	**540.97**
घटाएं :			
ईडीसी को अंतरित	31.1	170.90	180.67
कुल योग		**388.78**	**360.30**

टिप्पणी: 35

वित्त लागत

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
वित्त लागत					
बाँडों पर ब्याज			226.7		120.13
घरेलू ऋणों पर ब्याज			146.24		190.78
विदेशी ऋणों पर ब्याज			13.57		24.67
कैश क्रेडिट पर व्यय			36.02		45.60
एफईआरवी			(24.92)		71.17
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान			2.67		1.95
ब्याज अन्य			4.61		4.53
कुल			**404.89**		**458.83**
घटाएं :					
सीडब्ल्यूआईपी खाते में अंतरित और पूंजीकृत			219.81		216.93
ईडीसी को अंतरित अन्य ब्याज			3.15		1.56
कुल योग			**181.93**		**240.34**

टिप्पणी: 36

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
किराया					
कार्यालय किराया		0.28		0.25	
कर्मचारी आवास किराया		2.21	2.49	2.54	2.79
दर एवं कर			3.00		3.11
विद्युत एवं ईंधन			16.95		19.99
बीमा			29.11		21.22
संचार			3.85		3.12
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		43.98		33.48	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		4.07		7.01	
भवन		18.41		16.30	

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
अन्य		20.74	87.20	20.70	77.49
यात्रा एवं वाहन			1.96		6.36
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			8.09		11.85
सुरक्षा			54.82		53.26
प्रचार तथा जनसंपर्क			1.66		1.32
अन्य सामान्य व्यय			33.48		67.26
लेखापरीक्षकों को भुगतान			0.28		0.28
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.26		0.08
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			7.70		9.95
अनुसंधान और विकास			4.52		4.80
परामर्शी परियोजना/संविदा पर व्यय			14.62		0.06
बट्टे खाते में प्राथमिक व्यय			0.40		0.00
निगम की सीएसआर एवं एसडी गतिविधियों पर व्यय			23.01		21.48
कुल			**293.40**		**304.42**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	31.1		62.65		65.09
कुल योग			**230.75**		**239.33**

टिप्पणी: 37

प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
संदिग्ध, ऋणों, सीडब्लूआईपी तथा ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
भण्डारों तथा पुर्जों के लिए प्रावधान			0.25		0.00
कुल			**0.25**		**0.00**
घटाएं :					
ई डी सी को अंतरित	31.1		0.00		0.00
कुल योग			**0.25**		**0.00**
37.1 भंडारों का प्रावधान मुख्यतः अप्रचलन के कारण है।					

टिप्पणी: 38

कराधान के लिए प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
आयकर					
चालू वर्ष			229.60		163.12
उप–योग			**229.60**		**163.12**
कुल योग			**229.60**		**163.12**

टिप्पणी: 39

विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन			51.90		49.75
विनियामक अस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर			(9.07)		(8.69)
कुल योग			**42.83**		**41.06**

टिप्पणी: 40

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			0.28		(14.79)
उप–योग			0.28		(14.79)
घटाएं :					
ई डी सी को अंतरित	31.1		0.05		(2.32)
कुल योग			**0.23**		**(12.47)**

41.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंडएएस 107 वित्तीय लिखतों के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालम गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), ओर तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्शिविक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम यह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज दर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजारी जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियों जमा और निवेश शामिल होते है।

विदेशी मुद्रा जोखिमः यह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिमः यह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौलः कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क से वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी ने किसी अशोध्य ऋण मामले या आशयित प्रावधान के प्रावधान करते समय ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया है।

3. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।
4. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उद्गत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।
5. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुमय पर विचार कर, कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना नहीं करती है।
6. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।
7. रिपोर्ट की जाने की तारीख को कंपनी व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

41.2 वित्तीय आस्तियों की क्षति

एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि ईसीएल मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय आस्तियां जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय आस्तियां जो ऋण विलेख है और एफवीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय आस्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कालांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समग्र से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता होने लगती है।

41.3 परिसंपत्तियों की क्षति

जैसा कि इंड एएस 36 के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने टिहरी चरण–1 (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है जिनके लिए सीओडी क्रमशः 09.07.2007 और 01.04.2012 है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों की कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि दोनों परियोजनाओं के लिए "उपयोग में मूल्य" नियत परिसंपत्तियों की "वहन राशि" से अधिक है।

41.4 कोविड–19 जोखिम

कोविड–19 के कारण लाकडाउन अवधि के दौरान कंपनी की प्रचालन और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि कार्यबल की कमी हो गई है और एक राज्य से दूसरे राज्य में सामग्री, उपस्कर आदि के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार काम के घंटे

घटाने तथा कर्मचारियों का रोस्टर बनाने के कारण उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ा।

टीएचडीसीआईएल की सभी निर्माण परियोजनाएं अर्थात टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट), वीपीएचईपी (440 मेगावाट), खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) और सौर ऊर्जा परियोजना, कासरगाड (50 मेगावाट) से संबंधित कार्य पूरी तरह से लाकडाउन लगाए जाने की अवधि के दौरान ठप्प हो गया था। इसके बाद, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों और एसओपी के अनुसार, सभी अनुशंसित सुरक्षा उपाय अपनाकर 20 अप्रैल, 2020 से कार्य आंशिक रूप से शुरु किया गया क्योंकि परिवहन में कठिनाई के कारण कार्यबल और निर्माण सामग्री की आपूर्ति सीमित हो गई थी। इससे कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे परियोजनाओं पर लगभग 6 माह का विलंब हो सकता है।

प्रचलनात्मक परियोजनाओं के संबंध में लाकडाउन के दौरान उत्पादन, नियोजित उत्पादन से कम था क्योंकि मांग कम हो गई थी। परंतु वर्ष 2020–21 के लिए नियोजित उत्पादन बढ़ा दिया गया है और उत्तरवर्ती महीनों में आरंभिक उत्पादन हानि की भरपाई कर ली जाएगी।

माननीय सीईआरसी ने 2019 प्रशुल्क विनियमन के विनियम 59 के प्रावधानों को शिथिल कर दिया है। उपरोक्त शिथिलीकरण के अनुसार दिनांक 24.3.2020 से 30.6.2020 के बीच बिलों को प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों के बाद वितरण कंपनियों द्वारा देर से भुगतान किए जाने के लिए संबंधित वितरण कंपनियां 1.5 की बजाय प्रति माह 1 प्रतिशत कम की गई दर पर एलपीएस सहित भुगतान करेगी। इससे निलंबित भुगतानों के कारण कंपनी का राजस्व प्रभावित होगा।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 15.05.2020 के पत्र और दिनांक 16.05.2020 के शुद्धि पत्र द्वारा सलाह दी है कि केन्द्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादक कंपनियां डिस्कामों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली के लिए लाकडाउन अवधि में प्रस्तुत बिजली के बिलों (नियत लागत) के लिए वितरण कंपनियों (डिस्काम) को 20 से 25 प्रतिशत तक छूट दे सकती है। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल डिस्कामों को लगभग 35.65 करोड़ रूपये की छूट की अनुमति दी है और इसे अपवादात्मक मदों के रूप में दर्ज किया गया है।

42. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यातमक टिप्पणियां:

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मांगे शामिल नहीं हैं तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 6297.31 करोड़ रूपये (गत वर्ष 6805.51 करोड़ रूपये) है।

2. आकस्मिक देयताएं

राशि करोड़ रूपये में

क्र. सं.	*विवरण*	*तारीख को*	
		31.03.2021	**31.03.2020**
क	पूंजीगत कार्य	860.93	504.72
ख	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	65.03	64.58
ग	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1106.88	713.48
घ	अन्य	2789.17	2820.11
ड.	उपरोक्त 'क' से 'घ' तक के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	शून्य	शून्य
च	विवादित कर संबंधी मामले	8.90	8.23
छ	***कुल***	**4830.91**	**4111.12**
ज	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम/अदालती मुकदमें/आयकर/व्यापार कर मामलों में कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	460.77	455.50

3. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफ डी आर/सी डी आर प्राप्त कर रही हैं । कंपनी ने 1.72 करोड़ रुपये एवं 3.63 करोड़ रूपये (गत वर्ष 1.41 करोड़ रूपये तथा 3.32 करोड़ रुपये) की एफडीआर/सीडीआर क्रमशः ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 23 एवं 27 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 191.54 करोड़ रुपये (गत वर्ष 95.79 करोड़ रुपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों के अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 0.16 करोड़ रूपये (गत वर्ष 0.46 करोड़ रूपये) के समायोजन के बाद टिप्पणी सं. 35 के अनुसार वर्ष के दौरान पंजीकृत उधारी लागत ईडीसी को हस्तांतरित क्रमशः 219.31 करोड़ रूपये और 3.12 करोड़ रूपये (गत वर्ष 216.93 करोड़ रूपये और 1.56 करोड़ रूपये) है। इसके अतिरिक्त इंडएएस 21 के प्रावधानों के अनुसार, अस्थगित लेखा शेष क्रेडिट शेष के रूप में 16.50 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 45.91 करोड़ रूपये) को मान्य किया गया है।

5 (i) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत 3139.70 हेक्टेयर (गत वर्ष 3139.70 हेक्टेयर) की कुल भूमि में से 2143.98 हेक्टे. भूमि का स्वामित्व कंपनी के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। शेष भूमि 995.72 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है। 995.72 हेक्टयेर भूमि में से, 583.94 हेक्टेयर भूमि को नियत परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्शाया गया है जिसका सकल और निवल मूल्य क्रमशः 311.99 करोड़ रूपये और 298.66 करोड़ रूपये है और शेष 411.78 हेक्टयेर भूमि निमज्जनाधीन है और इस भूमि का मूल्य औसत आधार 38.53 करोड़ रूपये माना गया है।

(ii) टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून,1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफसी द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24ध25, जून 2004 के पत्र सं. 8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/

प्रोडेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा है जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

इसके अलावा, 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23– सी–4/टी –18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी ने उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। लेन–देन को अंतिम रूप और पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है। 49.03 करोड़ रूपये की राशि की इस भूमि को मौजूदा सर्किल रेट पर पट्टा भूमि के तहत अनंतिम रूप से पूंजीकृत किया गया है और उत्तरव्यापी प्रभाव अर्थात् वित्त वर्ष 2020–21 से परियोजना के लिए लाभकारी शेष पर परिशोधित किया जा रहा है।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 21 फ्लैट (गत वर्ष 24 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य 0.05 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 0.05 करोड़ रूपये) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.001 करोड़ रूपये की लागत की 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7.(i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसे प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और ठेकेदार एचसीसी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचईपी परिणाम के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मेसर्स एचपीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 151.205 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके है। जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था । डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वित्तीय के लिए उपलब्ध राशि 548 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने जून 2019 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तो के अनुसार डेट सर्विसिंग की गई है।

ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल ठेकेदार मैमर्स एच सी सी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड

ने मैमर्स एचसीसी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

iii) वर्ष 2020–21 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने 31.12.2020 को कासरगौड में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना चालू की है, परियोजना के प्रचालन से प्रशुल्क याचिका राजस्व को अंतिम रूप दिया जाने के लंबित होने को, राज्य डिस्कॉम के साथ परस्पर सहमति से 3.10 रूपये की अनंतिम दर पर दर्ज किया गया है। तथापि, प्रति यूनिट के लिए 3.10 रूपये की दर निर्धारित करते हुए दिनांक 17.03.2021 के अंतिम प्रशुल्क आदेश को केएसईआरसी द्वारा 05.05.2021 को जारी किया गया।

(iv) कंपनी को भारत सरकार की ओर से इक्विटी निषेचन के रूप में 26.03.2020 को 14.00 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई। मैसर्स एनटीपीसी के नामिती के शेयरों सहित भारत सरकार द्वारा रणनीतिक बिक्री को ध्यान में रखते हुए और परिणामस्वरूप दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की 2730.94 करोड़ रूपये की इक्विटी, जो 74.496% का प्रतिनिधित्व करती है, के एनटीपीसी को अंतरण को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार से प्राप्त की गई इस राशि को वित्त वर्ष 2020–21 को भारत सरकार को वापिस कर दिया गया।

8. इंड एएस 24 के अंतर्गत प्रकटन ''सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण''

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) धारक

कंपनी/संस्था का नाम	*प्रचालन का प्रमुख स्थान*
एमटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्र.सं.	*नाम*	*धारित पद*	*अवधि*
क.	*पूर्णकालिक निदेशक*		
1	श्री डी. वी. सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30.04.2021 तक
2	श्री विजय गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (कार्मिक)	पद पर बने हुए है
3	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)	पद पर बने हुए है
4	श्री आर. के. विश्नोई	निदेशक (तकनीकी)	पद पर बने हुए है
ख.	*नामिती निदेशक*		
1	श्री यू. के. भट्टाचार्य	गैर–कार्यकारी निदेशक	26.08.2020 से
2	श्री ए. के. गौतम	गैर–कार्यकारी निदेशक	23.04.2020 से
3	श्री टी. वेंकटेश	गैर–कार्यकारी निदेशक	14.05.2018 से
4	श्री राजपाल	गैर–कार्यकारी निदेशक	30.04.2021 तक

ग.	मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव		
1	श्री जे. बेहेरा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	पद पर बने हुए है
2	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	पद पर बनी हुई हैं
	सहायक कंपनी–टस्को लिमिटेड		
1	श्री डी. वी. सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	12.09.2020 से 30.04.2021 तक
2	श्री विजय गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (कार्मिक)	01.05.2021 से
3	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)	12.09.2021 से
4	श्री आर. के. विश्नोई	निदेशक (तकनीकी)	12.09.2021 से
5	श्री भवानी सिंह	गैर–कार्यकारी निदेशक	12.09.2020 से
6	श्री शैलेन्द्र सिंह	सीईओ	08.10.2020 से
7	श्री के. के. श्रीवास्तव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	08.10.2020 से
8	श्री एच. बाजपेई	कंपनी सचिव	08.10.2020 से

*दिनांक 01.05.2021 से अतिरिक्त प्रभार

(iii) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थल
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआइएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा निधि न्यास	भारत

(v) अन्य

सेवा–टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को शुरु करने के लिए सोसाइटी अधिनियम,1860 के अंतर्गत किया गया है।

संवद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों के छोड़कर)– सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 23.01 करोड़ रूपये वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2019 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंडएएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संवद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	*सम्बद्ध पक्षकारों के नाम*	*सम्बध की प्रकृति*
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.4960 प्रतिशत)
3	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(i) उसी सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रूपये में)

कंपनी का नाम	*कंपनी द्वारा संव्यवहार की प्रकृति*	*31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लिए*	*31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए*
एनटीपीसी लि.	परामर्शी सेवा	27.35	13.71
बीएचईएल	उपस्कारों और स्पेयर की खरीद	163.65	80.99
आईओसीएल	ईधन की खरीद	1.67	2.32
बीपीसीएल	ईधन की खरीद	0.94	0.58
पीजीसीआईएल	पावर लाइन डायवर्जन	53.79	0.32
सीएमपीडीआईएल	परामर्शिता	6.64	1.63
यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड एमटीपीसी और रिलायंस का संयुक्त उद्यम	जनशक्ति की आपूर्ति	0.50	0.52
आरआईटीईएस	कंसल्टेंसी सेवाएं	4.27	0.13
एनटीपीसी	लाभांश का भुगतान	527.25	
सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कंसल्टेंसी	1.09	0
अन्य	विविध	1.08	0.77
एनटीपीसी लि.	कंसल्टेंसी सर्विस –टस्को के लिए डीपीआर	1.12	

(ii) सम्बंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क	*वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए वसूलनीय राशि*		
	एनटीपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी) से	शून्य	शून्य
ख	*ऋण और अग्रिमों को छोड़कर वसूलनीय राशि*		
	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.11	0.14
ग	*वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए देय राशि*		
	टस्को द्वारा एनटीपीसी को	0.11	

(iii) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्तिः स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय 4.63 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 4.29 करोड़ रूपये) है।

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.02.2020 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	4.05	3.71
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.49	0.58
	टस्को	0.09	–
3	सेवांत लाभ	0.00	0.00
4	शेयर आधारित भुगतान	0.00	0.00
	कुल	4.63	4.29

(iv) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(क) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ख) कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

9. इंड एएस–110 'समेकित वित्तीय विवरण' के अनुसार प्रकटीकरण

वर्ष 2020–21 के दौरान, मैसर्स टस्को लिमिटेड को 12.9.20202 को यूपीएनईडीए के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में प्रमोट किया गया है, जिसमें 74:26 के इक्विटी अनुपात में 74% इक्विटी टीएचडीसी और 26% इक्विटी यूपीएनईडीए द्वारा धारित की गई है। इंड एएस 110 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में, टीएचडीसी ने वर्ष के दौरान समेकित वित्तीय विवरणों का पालन किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और लेखाओं के लिए टिप्पणियां शामिल हैं।

10. इंड एएस 112 'अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटीकरण' के अनुसार प्रकटीकरण

(क) मैसर्स टस्को लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लि. की एक सहायक कंपनी है, जिसे यूपीएनईडीए के साथ 74:26 (कंपनी:यूपीएनईडीए) के इक्विटी अनुपात में प्रमोट किया गया है। निगमन या पंजीकरण का देश भी इसके मुख्य व्यवसाय का स्थान है।

(ख) गैर–नियंत्रणीय हित (एनसीआई)

सहायक कंपनी के लिए वित्तीय सूचना, जिसमें गैर–नियंत्रणीय हित शामिल है, का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। मैसर्स टस्को लिमिटेड के लिए प्रकट की गई राशि अंतर–कंपनी निर्मूलन से पहले है।

संक्षिप्त तुलन पत्र

विवरण	*टस्को लिमिटेड*
	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
चालू परिसंपत्तियां	7.24
चालू देयताएं	4.26
निवल चालू परिसंपत्तियां / (देयताएं)	2.99
गैर–चालू परिसंपत्तियां	7.03
गैर–चालू देयताएं	0.28
निवल परिसंपत्तियां	9.74
संचयी एनसीआई	2.53

लाभ एवं हानि का संक्षिप्त विवरण

विवरण	*टस्को लिमिटेड*
	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
कुल आय	0.08
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(0.26)
अन्य विस्तृत आय / (व्यय)	-
एनसीआई को आबंटित लाभ / (हानि)	(0.07)
एनसीआई को संदत्त लाभांश	-

नकदी प्रवाह की समाप्त अवधि का संक्षिप्त विवरण

विवरण	*टस्को लिमिटेड*
	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
प्रचालन गतिविधियों से /(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	3.82
निवेश गतिविधियों से /(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	(6.95)
वित्तपोषण गतिवधियों से /(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	10.34
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी)	7.22

(ग) महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के ब्यौरे

जब तक यूपीएनईडीए के साथ आपसी सहमति न बन जाए, टीएचडीसीआईएल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे सहायक कंपनी में शेयरधारिता 51% से कम हो जाए।

(घ) सहायक कंपनी में मूल कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन–

(करोड़ रूपये में)

विवरण	*स्वामित्व हित*		*माइनोरिटी हित*		*कुल*	
	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	*अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)*	*शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी*	*अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)*	*शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी*	*अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)*
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार						
अवधि के दौरान इक्विटी निवेश	7.40	0.00	2.60	0.00	10.00	
अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण में शेयर	(0.19)		(0.07)		(0.26)	
स्वामित्व हित में परिवर्तन का प्रभाव						
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	7.21	0.00	2.53	0.00	9.74	

11) इंडएएस 33 'प्रति शेयर आय (ईपीएस)' के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

	2020-21	**2019-20**
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। (करोड़ रूपये)	1049.38	879.19
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (करोड़ रूपये)	1092.22	920.25
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है	बेसिक : 36658817 तनुकृत : 36658817	बेसिक : 36631822.46 तनुकृत : 36642751.43

	2020-21	2019-20
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल नहीं है। ₹ बेसिक ₹ तनुकृत	 286.26 286.26	 240.01 239.94
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है ₹ बेसिक ₹ तनुकृत	 297.94 297.94	 251.22 251.14
प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹	₹ 1000	₹ 1000

12. ***(क) आय कर व्यय***

(i) लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	*समाप्त वर्ष के लिए*	
	31 मार्च 2021	*31 मार्च 2020*
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	238.66	171.81
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन	0.00	0.00
विनियामक आस्थगित लेखा शेष से संबंधित (क)	(9.06)	(8.69)
कुल चालू का व्यय (ख)	229.60	163.12

(ख) भविष्य में कंपनी को एमएटी क्रेडिट उपलब्ध है परंतु मान्य नहीं है।

भविष्य में कंपनी को उपलब्ध परंतु 31 मार्च, 2021 को मान्य नहीं एमएटी क्रेडिट 580.97 करोड़ रूपये (31 मार्च, 2020 – 712.91 करोड़ रूपये) है।

(ii) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड ए एस 12 'आयकर' के अनुसरण में 68.32 करोड़ रूपये की आस्थगित कर देयता (पिछले वर्ष 48.66 करोड़ रूपये) में निवल वृद्धि को लाभ हानि विवरण में बुक किया गया है।

13. कंपनी का विभिन्न अवस्थितियों के संदर्भ में माल एवं सेवा कर प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का जीएसटी पोर्टल पर दावा किया गया है, जिसे जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसे लेखाबही में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

14) (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी, लाभ निरपेक्ष, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, के माध्यम से व्यय किए गए सीएसआर खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है–

क्र. सं.	सीएसआर व्ययों के लिए गठित व्यय–शीर्ष	करोड़ रूपयों में
1.	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	3.70
2.	शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम	0.00
	(i) शिक्षा विकास	5.42
	(ii) ग्रामीण विकास (विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित)	3.14
3.	महिला सशक्तीकरण एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना आदि	0.19
4.	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	0.11
5.	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	0.41
6.	वायु सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं आदि के लाभ के लिए उपाय	0.05
7.	खेलकूद का संवर्धन	0.02
8.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	7.40
9.	अनुसूचित जाति का कल्याण	0.00
10.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0.58
11.	आपदाएं	1.54
12.	एसटीपीपी खुर्जा परियोजना संबंधी व्यय	0.02
	सीएसआर प्रशासनिक व्यय	0.54
	कुलयोग	***23.10***

"टीएचडीसीआईएल के 23.01 करोड़ रूपये के योगदान तथा वर्ष के दौरान ब्याज की आय 0.09 करोड़ रूपये से 'सेवा' द्वारा किया गया व्यय।

ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार 23.01 करोड़ रूपये (गत वर्ष 21.48 करोड़ रूपए) की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के रूप में 23.01 करोड़ रूपये (गत वर्ष 21.48 करोड़ रूपए) की राशि खर्च की, जो पूर्ववर्ती 3 वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ 2% के बराबर है।

ग) वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान नकद रूप में और नकद रूप में भुगतान किये जाने वाले व्यय तथा व्यय की प्रकृति सहित व्यय (पूँजी या राजस्व) का ब्यौरा:

क्र.स.		नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	कुलयोग
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण			
(ii)	क्रम सं (i) से इतर अन्य प्रयोजन के लिए	23.01	0.00	23.01

(ii) अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटन:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर 4.52 करोड़ रूपये (पूँजी– 4.52 करोड़ रूपये) (गत वर्ष 6.12 करोड़ रूपये) (पूँजी–1.32 करोड़ रूपये, राजस्व 4.80 करोड़ रूपये)) व्यय किए हैं।

15) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम), के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2021 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

(राशि करोड़ रूपये में)

	2020-21	2019-20
क. किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
i) मूल धन	0.56	0.71
ii) उस पर ब्याज	0.00	0.00
ख. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि	0.00	0.00
ग. देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है परंतु नियत तारीख के बाद परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।	0.00	0.00
घ. प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका	0.00	0.00
ङ. अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।	0.00	0.00

16. एएस 116–'पट्टे' के अनुसार प्रकटन

01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने एएस 116 'पट्टा', को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में अपनाया गया है।

(i) कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर कार्यालय और अतिथि गृह/ट्रांजिट कैंप और पट्टे पर जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं है) तीन माह के लिए पट्टे पर लिए हैं जिन्हें परस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रैंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित करती है जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पंजीकृत किया

जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रेंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंडएएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की उठाव राशियां हैं:

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*	*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*
प्रारंभिक शेष	**15.88**	**0.00**
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	**2.10**	**43.14**
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	**1.56**	**1.51**
–पट्टा देयताओं का भुगतान	**5.94**	**28.78**
–अंत शेष	**13.60**	**15.88**
–चालू	**4.26**	**5.62**
–गैर–चालू	**9.34**	**10.26**

(iii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

(राशि करोड़ रूपये में)

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	*31 मार्च, 2021 को*	*31 मार्च, 2020 को*
3 माह या कम	**1.15**	**1.70**
3–12 माह	**3.48**	**5.06**
1–2 वर्ष	**5.36**	**6.02**
2–5 वर्ष	**2.17**	**2.13**
5 वर्ष से अधिक	**7.22**	**7.89**
पट्टा देयताएं	**19.38**	**22.80**

(iv) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है:

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	*31 मार्च, 2021 को*	*31 मार्च, 2020 को*
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	**17.24**	8.82
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	**1.56**	1.52
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	**2.44**	2.79

(v) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है:

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	*31 मार्च, 2021 को*	*31 मार्च, 2020 को*
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह	**5.94**	28.78
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी प्रवाह	**2.44**	2.79

17. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ संबंध में प्रकटन इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना:

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि के निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन शून्य रूपये (गत वर्ष –3.73 करोड़ रूपये) के आधार पर चूँकि योजनागत परिसम्पत्तियों का अंकित मूल्य दायित्व के वर्तमान मूल्य से ***0.21 करोड़*** रूपये (गत वर्ष में ***–3.73*** करोड़ रूपये क्योंकि दायित्वों का वर्तमान मूल्य परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से ***3.73 करोड़*** रूपये अधिक है) अधिक है, इसलिए इसे लेखा–बही में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकरणों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी):

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) – नवीन

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों / पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देनदारी, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। इसके

लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से यथाअभिनिश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य की तुलना में योजनागत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी के भुगतान के प्रति कंपनी का दायित्व सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 4.29 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 5.83 करोड़ रूपये) को बही में दर्ज किया गया है क्योंकि दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से 4.29 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 5.83 करोड़ रूपये) अधिक है।

(v) अन्य (असबाब/एलएसए/एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

31.03.2021 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.3.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –1 बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान एवं जोखिम प्रकटीकरण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	*31.03.21*	*31.03.2020*	*31.03.2019*	*31.03.2018*	*31.03.2017*
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)
छूट की दर	6.75%	6.75%	7.75%	7.60%	7.50%
भावी वेतन वृद्धि	6.5%	6.5%	8.00%	8.00%	8.00%

जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोजर) का ब्यौराः मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि–वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देनदारी भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम– यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देनदारियां बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से काम निवेश प्रतिफल होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर– उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देनदारी बढ़ा सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता– मूल्यांकन में पूर्वानुमान से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ड़) आहरण– वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देनदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(रूपए करोड़ में)

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	*उपदान*	*अर्जित अवकाश (ईएल)*	*अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)*	*सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)*	*अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस*
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	191.01 {178.93}	56.07 {43.04}	109.06 {98.83}	79.85 {70.02}	12.63 {12.43}
ब्याज लागत	12.89 {13.87}	3.78 {3.33}	7.36 {7.66}	5.39 {5.43}	0.85 {0.96}
पिछली सेवा की लागत					1.18
वर्तमान सेवा लागत	5.08 {5.81}	13.38 {12.78}	4.69 {4.51}	2.56 {2.36}	1.15 {1.18}
लाभ का भुगतान	(17.94) {(16.35)}	(13.31) {(14.69)}	(4.11) {(2.78)}	(3.42) {(2.85)}	(1.33) {(1.51)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.05) {8.74}	6.26 {11.60}	(0.88) {0.83}	2.93 {4.88}	(0.20) {0.44}
वर्ष के अंत में पीवीओ	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	87.30 {79.85}	14.29 {12.63}

सारणी –3

तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(रूपए करोड़ में)

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	*उपदान*	*अर्जित अवकाश (ईएल)*	*अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)*	*सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (सीआरएमबी)*	*अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस*
वर्ष के अंत में पीवीओ	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	87.30 {79.85}	14.29 {12.63}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	लागू नही	लागू नही	लागू नही	83.01 (74.02)	लागू नही
वित्त पोषित देयता/प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	83.01 (74.02	शून्य
गैर वित्त पोषित देयता/ प्रावधान	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	4.29 {5.83}	14.29 {12.63]
चिन्हित न हुए बीमांकिक लाभ/हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	4.29 {5.83}	14.29 {12.63}

सारणी– 4 लाभ और हानि, ओसीआई/ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(रूपए करोड़ में)

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	*उपदान*	*अर्जित अवकाश (ईएल)*	*अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)*	*सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)*	*असबाब भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस (पीआरएमबी)*
वर्तमान सेवा लागत	5.08 {5.81}	13.38 {12.78}	4.69 {4.51}	2.56 {2.36}	1.15 {1.18}
सेवा उपरांत लागत					118.44
ब्याज लागत	12.89 {13.87}	3.78 {3.33}	7.36 {7.66}	5.39 {5.43}	0.85 {0.96}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.05) {8.74}	6.26 {11.60}	(0.88) {0.83}	2.93 {4.88}	(0.20) {0.44}
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	17.97 {19.68}	23.42 {27.71}	11.18 {13.00}	2.95 {3.07}	3.19 {2.14}

सारणी –5 संवेदनशीलता विश्लेषण

(रू. करोड़ में)

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	*उपदान*		*अर्जित अवकाश (ईएल)*		*अस्वस्थता अवकाश एचपीएल)*		*पीआरएमवी*		*अन्य*	
	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(5.09)	(5.42)	(2.09)	(1.82)	(3.20)	(3.23)	(10.17)	(9.30)	(0.38)	(0.35)
0.50% की घटोत्तरी	5.36	5.72	2.23	1.93	3.37	3.40	10.34	9.46	0.39	0.36
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	1.24	1.46	2.22	1.93	3.36	3.40	लागू नहीं	लागू नहीं	0.18	1.80
0.50% की घटोत्तरी	(1.34)	(1.56)	(2.10)	(1.83)	(3.22)	(3.32)	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.17)	(1.70)
चिकित्सा लागत/समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	10.37	9.49	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की घटोत्तरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(10.21)	(9.33)	लागू नहीं	लागू नहीं

अन्य प्रकटीकरण

(रू. करोड़ में)

उपदान	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	189.99	191.01	178.93	174.87	170.03
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.05)	8.74	(0.12)	(7.85)	(1.37)
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(1.05)	8.74	(0.12)	(7.85)	(1.37)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	17.97	19.68	19.35	19.59	30.76

अर्जित छुट्टी (ईएल)	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	66.18	56.07	43.04	27.72	53.98
बीमांकिक (लाभ)/हानि	6.26	11.60	11.38	4.52	16.68
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	23.42	27.71	25.85	10.03	22.63

अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	116.13	109.06	98.83	88.81	123.88
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.88)	0.83	1.78	(46.16)	8.61
वर्ष के लिए लाभएवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	11.18	13.00	12.79	(32.84)	22.34

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	87.30	79.85	70.02	62.70	56.39
अमान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.34	2.76	3.85	1.22	6.43
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.95	3.07	6.94	6.44	5.25

अन्य असबाब भत्ता/सेवानिवृत्ति अवार्ड/एफबीएस	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.29	12.63	12.43	8.92	8.62
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.20	0.43	(0.29)	(0.28)	0.38
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.20	0.43	(0.29)	(0.28)	0.38
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	3.19	2.14	5.16	1.38	1.12

18. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतः पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 संशोधित बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधक वर्ग की राय के संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

19. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

(रू. करोड़ में)

		2020-21	2019-20
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.17	0.13*
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.02
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए		------
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए		------
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.06	0.10
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.03	0.03

लेखापरीक्षकों को भुगतान में पिछले वर्ष से संबंधित 0.02 करोड़ रूपये (0.02 करोड़ रूपये) शामिल हैं।
वार्षिक आम सभा की बैठक में अनुमोदन के अधीन

20. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(रू. करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2021	31.03.2020
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	232.30	25.19
जोड़ें रू लियन के तहत बैंक शेष	13	0.00	0.58
घटायें : एसटीएल सहित ओवर ड्राफ्ट शेष	26	700.00	1115.05
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		467.70	-1089.28

ख) मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन– पत्र में प्रारंभिक और अंतिम शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(रू. करोड़ में)

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2020–21	प्रारंभिक	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
जारी की गई शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	3665.88		3665.88		
अनियंत्रित ब्याज		2.53	2.53	2.53	नि. पूंजी–2.60 करोड रूपये अन्य इक्विटी में शेयर – 0.07 करोड़ रूपये
दीर्घकालिक उधारियाँ (बाँड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	4557.74		5560.99	1003.25	आहरित ऋण बांड–1550.00 करोड़ रूपये विश्व बैंक–77.00 करोड़ रूपये चुकौती– घरेलू–547.53 करोड़ रूपये विश्व–48.67 करोड़ रूपये विनिमय दर–24.92 करोड़ रूपये (एफएवी) निवल परिवर्तन–1005.87 करोड़ रूपये पट्टा–2.63 करोड़ रूपये (निवल कमी)
ऋणों पर ब्याज भुगतान की गई वित्तीय लागत पूँजीकृत कम करें–सीडब्ल्यूआईपी		404.86 (222.93)		(181.93)	लाभ और हानि में प्रभारित
विलंबित भुगतान अधिभार		660.94		660.94	अन्य आय
भुगतान किया गया लाभांश		(707.75)		(707.75)	लाभांश का भुगतान
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				777.39	

21. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरण

समूह में शामिल संस्था का नाम	*निवल परिसंपत्ति अर्थात् कुल परिसंपत्ति माइनस कुल देयताएं*		*समाप्त वर्ष के लिए लाभ या हानि में हिस्सा*		*समाप्त वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय में हिस्सा*		*समाप्त वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय में हिस्सा*	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	*रू. करोड़ में*	*समेकित लाभ या हानि के % के रूप में*	*रू. करोड़ में*	*समेकित अन्य विस्तृत आय के % के रूप में*	*रू. करोड़ में*	*समेकित कुल विस्तृत आय के % के रूप में*	*रू. करोड़ में*
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड								
31 मार्च, 2021	99.97%	9917.24	100.01%	1092.22	100%	0.31	100.01%	1092.53
31 मार्च, 2020	100%	9532.47	100%	920.25	100%	-16.83	100%	903.43
सहायक कंपनी								
टस्को लिमिटेड								
31 मार्च, 2021	0.026%	2.53	-0.01%	-0.07		0		-0.07
31 मार्च, 2020	100%	0	0	0		0		0
कुल								
31 मार्च, 2021	100%	9919.77	100%	1092.15	100%	0.31	100%	1092.46
31 मार्च, 2020	100%	9532.47	100%	920.25	100%	-16.83	100%	903.43

22. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयी बनाया जा सके।

23. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम, 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 129 की उप–धारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण फॉर्म एएओसी–I में संलग्न है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	***(जे. बेहेरा)***	***(विजय गोयल)***
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)

साझेदार

सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021

स्थान : लखनऊ

फॉर्म एओसी–1

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम, 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 129 की उप–धारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

भाग "क": सहायक कंपनियां

रू. करोड़ में

1.	सहायक कंपनी का नाम	टस्को लिमिटेड
2.	सहायक कंपनी के अधिग्रहण करने की तारीख	12.09.2020*
3.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि (01.04.2020 – 31.03.2021) के समान
4.	विदेशी सहायक कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी	10.00
6.	आरक्षित एवं अधिशेष	–0.260
7.	कुल परिसंपत्तियां	14.27
8.	कुल देयताएं	4.53
9.	निवेश	0.00
10.	टर्नओवर / अन्य आय	–0.35
11.	कराधान पूर्व लाभ	–0.35
12.	कराधान के लिए प्रावधान	0.09
13.	कराधान पश्चात् लाभ	–0.26
14.	प्रस्तावित लाभांश	0.00
15.	शेयरधारिता का %	0.74

(*निगमन की तारीख)

भाग "ख" : एसोसिएट और संयुक्त उद्यम

– कोई नहीं–

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	***(जे. बेहेरा)***	***(विजय गोयल)***
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)

साझेदार

सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021

स्थान : लखनऊ

स्वंतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ इसमें इसके बाद "समूह" कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियो के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (जिन्हें इसमें इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) सहित समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड ए एस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, समूह के कार्यो की समेकित स्थिति (वित्तीय स्थिति), इसके समेकित निवल लाभ (अन्य विस्तृत आय सहित वित्तीय निष्पादन) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में समेकित परिवर्तन और इसके समेकित नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, समूह से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानो के तहत हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणो की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नही है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। नीचे दिए गए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले धारक कंपनी से संबंधित हैं क्योंकि घटक के अन्य लेखापरीक्षक द्वारा उनकी रिपोर्ट में लेखापरीक्षा संबंधी कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं दिया गया है:–

क्र.सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान
1.	***ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन*** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड ए एस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। तथापि जिन मामलों में जहाँ प्रशुल्क दर तय की जानी है, वहाँ लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों को लागू कर अनंतिम दरें अपनाई जाती हैं । सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुडा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के जटिल और निर्णयाधीन होने के नाते, इसकी मान्यता तथा मापन क्रिया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 15 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 32 देखें)	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभाव शामिल होते है, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रकियाओं को प्राप्त किया है तथा लेखा परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनाई हैं:– • ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। • सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्कों दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखाकरण का सत्यापन किया है। उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता और मापन पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते है।
2	***आकस्मिक देयताएँ*** कंपनी के विरूद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। हमने इसकी पहचान लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में की है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये धनराशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करना काफी हद तक प्रबंधन निर्णय शामिल होता है और इस मामले में प्रबंधन पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है।	हमने आकस्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटन के संबंध में धारक कंपनी के आतंरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनाई हैं:– • लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता को समझा और परीक्षण किया है। • प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान
	(महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 14 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42.2 देखें)	• विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेजों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है। • प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। • जिन मामलों का प्रकटन नही किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। • प्रकटनों की पर्याप्तता और पूर्णता पर विचार किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटन पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

महत्व सहित "अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना" संबंधी लेखांकन मानक (एसए 600) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

(क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42 का पैरा 7 (i) और (ii)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचएससी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए धारक कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 995.72 हेक्टेयर भूमि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42 का पैरा 5(i) का टीएचडीसीआईएल द्वारा उपयोग परियोजना कार्यो के लिए किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42 का पैरा 5 (ii) 44.426 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि के संबंध मे है जिसके लिए पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है, 49.03 करोड़ रूपये की राशि की इस भूमि को मौजूदा सर्किल रेट पर पट्टा भूमि के तहत अनंतिम रूप से पूंजीकृत किया गया है और उत्तरव्यापी प्रभाव अर्थात् वित्त वर्ष 2020–21 से परियोजना के लिए लाभकारी शेष पर परिशोधित किया जा रहा है। तुलन पत्र की टिप्पणी संख्या 28 में 49.03 करोड़ रूपये की राशि की देयता को निर्धारित किया गया है।

(ग) कंपनी के कार्यनिष्पादन पर कोविड–19 के प्रभाव के प्रबंधन मूल्यांकन के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41.4। इसके अलावा, कंपनी ने डिस्कॉमों को 35.65 करोड़ रूपये की एक विशेष रियायत दी है जिसे अपवादात्मक मद के रूप में माना गया है।

(घ) चालू परिसंपत्तियों के अधीन दर्शाए गए शेषों सहित व्यापार / अन्य प्राप्य राशियों और ऋण एवं अग्रिम आदि के खाते में शेषों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42.18 (क)। ऋण एवं अग्रिम और चालू देयताएं पुष्टि और समाधान के अध्यधीन हैं। वित्तीय विवरणों में पुष्टि और समाधान प्रक्रिया से उत्पन्न हो सकने वाले समायोजन, यदि कोई हो, के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य मामले

हमने समेकित वित्तीय विवरणों में समाहित किए गए सहायक कंपनी, जिसके वित्तीय विवरणों में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, 14.28 करोड़ रूपये की कुल परिसंपत्ति 0.08 करोड़ रूपये का कुल राजस्व और 7.22 करोड़ रूपये की राशि का निवल नकदी प्रवाह,जिस पर समेकित वित्तीय विवरणओं में विचार किया गया है, दर्शाया गया है, के वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा इसके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गई है और जहां तक सहायक कंपनी का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और महत्व सहित "अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना" संबंधी लेखांकन मानक (एसए 600) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखने के बाद लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड में यथाउल्लिखित हमारे द्वारा निष्पादित की गई प्रक्रियाओं पर आधारित है।

इस मामले पर हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य की सूचनाएं

धारक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचना में समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित की गई सूचना शामिल है, परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक की प्रक्रिया में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम उपरोक्त के अनुसार सूचनाएं पढ़ते हैं यदि हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त कार्रवाई करें।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा समेकित सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

धारक कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अपेक्षाओं के संदर्भ में इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य विस्तृत आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में समूह में शामिल सभी कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रणों, जिन्हें धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया है, का रख–रखाव भी इसमें शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, कार्यरत कंपनी के रूप में समूह के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू

प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन समूह को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

समूह की वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख भी, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल जिम्मेदारी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारें में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमने:

- समेकित वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो समूह के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां समूह को एक प्रगतिशील संस्था के रूपमें जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने

के लिए समूह के भीतर संस्थाओं या व्यापार गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई ऐसी संस्थाओं, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण करने और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अन्य संस्थाओं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

हम उन्हें, जिन्हें धारक कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई ऐसी संस्था, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, के सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं । हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं

1. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकं की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, हम, यथालागू सीमा तक, यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण समेकित वित्तीय विवरणों कौ तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित की गई संगत खाता–बहियों के अनुरूप हैं

(घ) हमारी राय में उक्त समेकित वित्तीय विवरण, यथासंशोधित, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ड) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06. 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नही होते हैं।

(च) धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया ***अनुलग्नक "क"*** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नही होते हैं। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसरण में रिपोर्टिंग, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42.2 देखें।

ii. समूह का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सी.ए. अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
एम नं.400460

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 10.06.2021
यूडीआईएनः 21400460एएएबीएलएक्स7670

अनुलग्नक "क"

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1(च) में संदर्भित अनुलग्नक)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च,2021 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लि. (जिसे इसके बाद धारक कंपनी कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ जिसे इसके आगे समूह कहा गया है) के इसी तारीख को समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल, अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख– रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख हैा इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चत करना शामिल हैं। इसमें अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने,लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है ।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा में आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विवरण (द गाइडंस नोट) पर लागू हैं और ये दोनों ही 'आईसीएआई' द्वारा जारी हैं। इस मानक और मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि समेकित वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए समेकित वित्तीय लेखांकन के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारे समेकित वित्तीय लेखांकन के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन का जोखिम मूल्यांकन, का वास्तविक जोखिम निर्धारण है तथा परीक्षण और डिजाइन तथा आंतरित नियंत्रण में जोखिम अनुमान

के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएँ समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है ।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया हमारा लेखा परीक्षा साक्ष्य और भारत में निगमित सहायक कंपनी के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा 'अन्य मामले' संबंधी पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा साक्ष्य, समूह के समेकित वित्तीय विवरण ों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है ।

समेकित वित्तीय विवरणों के सदंर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय लेखांकन का विश्वसनीय तथा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना सहित गलत विवरण, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, की अन्तर्निहित सीमा के कारण, पता नहीं लगाया जा सके। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की भावी अवधि हेतु कोई भी मूल्यांकन जोखिम भरा हो सकता है, स्तिथियों में परिवर्तन के कारण समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकती है। नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सभी प्रकार की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2021 को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है। कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी नोट पर आधारित है।

प्रबंधन वर्ग द्वारा कंपनी के निष्पादन पर कोविड–19 के प्रभाव के मूल्यांकन के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों

की टिप्पणी 41.4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और उसका उल्लेख स्वतंत्र निदेशकों की रिपोर्ट के मामले पर बल संबंधी पैराग्राफ में किया गया है।

इस मामले के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य मामले

धारक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनात्मक प्रभाकारिता के संबंध में अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट, जहां तक सहायक कंपनी का संबंध है, भारत में निगमित ऐसी कंपनी के लेखापरीक्षक की संगत रिपोर्ट पर धारित है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सी.ए. अविचल एस.एन. कपूर)

साझेदार

एम नं.400460

स्थानः लखनऊ

दिनांकः 10.06.2021

गोपनीय

संख्या.:DGA (Energy)/Rep/01-55/THDC-CFS/2021-22/Vol. II/313

सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (ENERGY)
DELHI

दिनांक/Dated: 13.08.2021

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
टी. एच. डी. सी. इंडिया लिमिटेड
ऋषिकेश

महोदय,

विषय:- **31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए टी. एच. डी. सी. इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के Consolidated Financial Statements पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।**

मैं टी. एच. डी. सी. इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के Consolidated Financial Statements पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्नक:- यथोपरि।

डी.के. शेखर

(डी. के. शेखर)
महानिदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, ऐनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
6th & 7th floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110002
Tel: 011-23239227, Fax: 011-23239211, E-mail: pdaenergydl@cag.gov.in

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 10 जून, 2021 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लि. के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा तो की है परन्तु अनुलग्नक में सूचीबद्ध सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संस्था द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गयी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आयी है जिसमें अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने या उसमें वृद्धि करने की स्थिति आएगी।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–

(डी.के.शेखर)

महालेखा परीक्षक, दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 13 अगस्त, 2021

अनुलग्नक

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की सूची जिनके वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई थी।

क. सहायक कंपनी:

1. टस्को (टीयूएससीओ) लिमिटेड

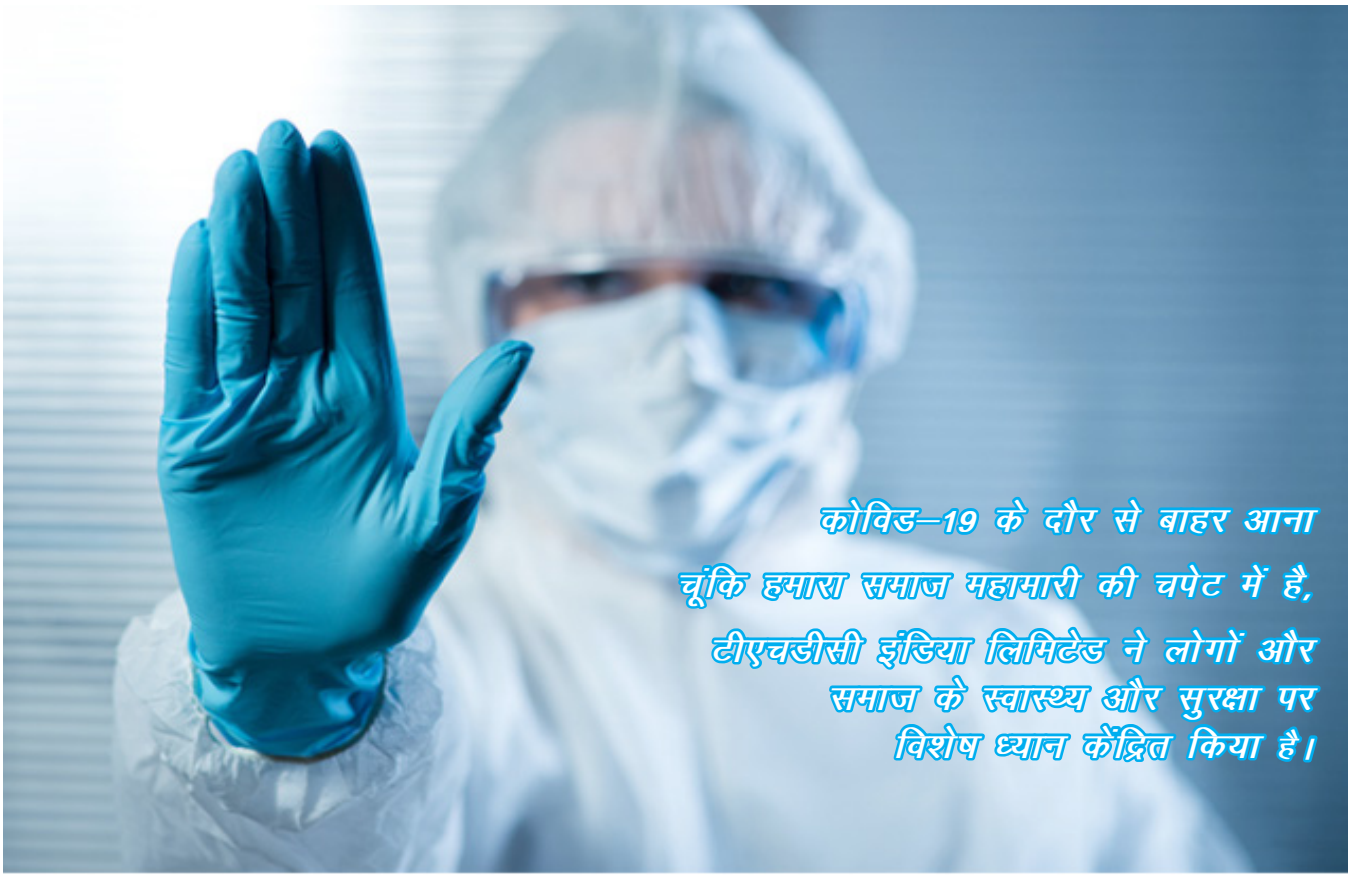

भारत वर्ष 2020 से कोविड–19 संकट से लड़ रहा है। आपकी कंपनी के कार्यस्थल भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। पिछले 1.5 वर्ष के दौरान कर्मचारी भी इस घातक वायरस से संक्रमित हुए थे। महामारी से लड़ने के लिए टीकाकरण एक प्रभावी उपकरण के रूप में उभरा है।

आपकी कंपनी ने एक जिम्मेदार नियोक्ता के रूप में कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, कर्मचारियों के आश्रितों के साथ–साथ संविदा कर्मचारियों के आश्रितों और आसपास के समुदाय के लिए टीकाकरण अभियान चलाया है। कंपनी की सभी इकाइयों में अब तक कुल 11 टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए हैं जिनमें 18–44 और 45+ आयु वर्ग में 6500+ खुराक दी गई है।

इसके अलावा, टिहरी स्थित औषधालय अप्रैल, 2021 से समुदाय के लिए टीकाकरण स्थल के रूप में कार्य कर रहा है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान और जागरूकता अभियान के कारण, अब तक लगभग 96% नियमित कर्मचारियों और 91% संविदा कर्मचारियों को टीका लगाया जा चुका है।

कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय करने और टीकाकरण अभियान चलाने में एनईजीवीएसी (NEGVAC) के दिशानिर्देशों को अपनाने और लागू करने के अलावा, आपकी कंपनी ने कोविड–19 का मुकाबला करने के लिए अपने सभी कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित पहलें भी लागू की हैं:

1) कोविड देखभाल केंद्र

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए आइसोलेशन और विशिष्ट ऑक्सीजन बेड के लिए कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं। इस मामले में टाउनशिप के बुनियादी ढांचे का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। विभिन्न स्थानों और टाउनशिप में गेस्टहाउस, पूरी तरह से कोविड–19 मामलों के आईसोलेशन के लिए समर्पित थे। स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड देखभाल केंद्र में तैनात किया गया। टीएचडीसीआईएल ने प्रभावितों के बेहतर इलाज के लिए ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है।

2) निवारक देखभाल और स्व–निगरानी मदों की प्रतिपूर्ति

कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी (सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों) को पल्स ऑक्सीमीटर, स्टीमर, सैनिटाइजर, दस्ताने, बीपी मॉनिटर, स्टीमर, थर्मल स्कैनर और दस्ताने जैसे चिकित्सा उपकरणों के लिए प्रतिपूर्ति की गई थी।

3) आरटी–पीसीआर जांच और टीकाकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति

कोविड–19 की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और सामान्य रूप से जनता के बार–बार आरटी–पीसीआर जांच और टीकाकरण के माध्यम से इसे नियंत्रित करने के सरकार के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों को टीकाकरण और आरटी–पीसीआर परीक्षणों पर उनके द्वारा किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई है।

4) भविष्य के लिए तैयार

कोविड–19 की तीसरी लहर, जिसका वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा अनुमान लगाया गया है, की संभावना को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी इसके प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानियों और भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग और राज्य सरकारों के दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कर रही है।

टीएचडीसीआईएल ने जुलाई 2021 से टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है, जिसमें 45+ आयु वर्ग के लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा रही है।

नोट

नोट

टीएचडीसीआईएल द्वारा कॉरपोरेट बांड सीरीज-V जारी करने के दौरान
श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त) के साथ कंपनी सचिव व अन्य अधिकारी

Sh. J. Behera, Director (Finance) THDCIL during issue of Secured
Corporate Bonds Series-V along with Company Secretary and other officials

टिहरी पीएसपी

Tehri PSP

Khurja STPP

खुर्जा एसटीपीपी

वीपीएचईपी

VPHEP

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

THDC INDIA LIMITED

Schedule - A Mini Ratna PSU
CIN : U45203UR1988GOI009822
कारपोरेट कार्यालय: गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाई-पास रोड, ऋषिकेश - 249201
Corporate Office : Ganga Bhawan, Pragatipuram, By-Pass Road, Rishikesh-249201
वेबसाइट / Website : www.thdc.co.in

Designed & Printed by Alaknanda Advertising Private Limited